इन्दौर में स्मार्ट सिटी

एक केस स्टडी

CFA
Centre for Financial Accontability
सेंटर फॉर फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी

इन्दौर में स्मार्ट सिटी

एक केस स्टडी

लेखक : गौरव द्विवेदी, सी.एफ.ए. भोपाल, फारुख सरकुलोव,
डीपॉ विश्वविद्यालय, चिन्मय मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार, इन्दौर, अस्मी सक्सेना,
सी.एफ.ए. भोपाल

प्रकाशक :
सेंटर फार फाईनन्शियल अकांउटेबिलिटी(सी.एफ.ए.)
आर 21, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–2, नई दिल्ली 110049
info@cenfa.org www.cenfa.org

मार्च : 2020

©कॉपीलेफ्ट : गैर व्यावसायिक उद्देश्य हेतु इस दस्तावेज के किसी भी अंश के उपयोग की स्वतंत्रता। स्त्रोत का उल्लेख करेंगे तो प्रसन्नता होगी।

केवल निजी प्रसारण हेतु

विषय वस्तु

- प्रस्तावना .....
- विषय प्रवेश.....
- इन्दौर शहर का सिहांवलोकन .....
- स्मार्ट सिटी इन्दौर .....
- स्मार्ट सिटी इन्दौर के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति .....
- इन्दौर स्मार्ट डेवलपमेंट लि. (ISCDL) का गठन.....
- एस.पी.वी. एवं भविष्य के शहरी शासन संबंधी प्रश्न.....
- स्मार्ट सिटी इन्दौर का वित्तीय पोषण .....
- परिचालन एवं रखरखाव (ओ एण्ड एम) लागतें .....
- स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा .....
- भारत सरकार के खिलाफ लगी कानूनी याचिका का विश्लेषण .....
- निष्कर्ष .....
- परिशिष्ट

  अ) स्मार्ट सिटी मिशन – चयनित शहरों की सूची.....

  ब) इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के हितधारक और बोर्ड कमेटी मेम्बर .....

  स) ए.बी.डी. परियोजनाएं– कुल लागत रु. 4468.76 करोड़.....

  द) शहर के अन्तर्गत योजनाएं– कुल लागत रु. 388 करोड़.....

  क) याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित संवैधानिक अनुच्छेद.....

  ख) स्मार्ट सिटी इन्दौर के खिलाफ याचिकाकर्ता का दावा .....

  ग) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर.....

प्रस्तावना

स्मार्ट (सिटी) मोहल्ला यानी एक त्रासदी

चिन्मय मिश्र

''अगर कोई आदमी गाँव में ग्रामीणों के घर देखने को जाए, तो उसे यह जानने में देर नहीं लगेगी कि जितनी बड़ी इमारतें हैं, करीब–करीब सभी पुरानी हैं और टूटी फूटी अवस्था में हैं और वहां उसे शायद ही कोई बड़ी नयी बनी इमारत मिले। इससे प्रकट है कि 40–50 वर्ष पहले लोग इतने खुशहाल थे कि वे ऐसी इमारतें खड़ी कर सकते थे, जबकि आज उन्हीं की संतानें अपने पूर्वजों के बनाये मकानों के भग्न खण्डहरों में रहने में ही संतोष मानती हैं। मौजूदा पीढ़ी की आर्थिक हालत इस लायक भी नहीं है कि वे इन इमारतों की मरम्मत करा सकें।''

– डॉ. जे.सी. कुमारप्पा

मध्यप्रदेश के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर, इन्दौर के एक मोहल्ले को स्मार्ट सिटी बनाने का झांसा देने वाली केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा की प्रस्तावना में उपरोक्त उदाहरण आपको हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है और सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर स्मार्ट सिटी और टूटते गाँवों में क्या समानता है। प्रथम दृष्टया ऐसी कोई समानता दिखाई भी नहीं देती। पर जब हम इन्दौर की स्मार्ट सिटी (मोहल्ला) परियोजना के शुरुआती आघातों को देखेंगे तो पाएंगे कि ये आघात यहां बसी सबसे पुरानी बस्तियों पर ही हुए हैं। सर्वप्रथम बियाबानी, लोहारपट्टी, मालगंज, मल्हारगंज और फिर गणेशगंज। दूसरा आघात राजमोहल्ला, बियाबानी, बंबई बाजार, कड़ाव घाट होते हुए सर्वटे बस स्टेण्ड तक की रहवासी बस्तियों पर हुआ। तीसरा और अभी तक का अंतिम आघात जयरामपुर कालोनी से क्लाथ मार्केट–गोराकुंड तक हुआ है। ये सभी शहर की अपनी पृथक पहचान बनाने में मदद करती थीं। अब इन्हें नेस्तनाबूत कर दिया गया है। तीसरे आघात के कुछ हिस्से, जिसमें जयरापुर कॉलोनी जो पाकिस्तान से भारत आए सिंधी शरणार्थियों का निवास था और क्लॉथ मार्केट (कपड़ा बाजार) का वह हिस्सा जो पिछली करीब डेढ़ शताब्दियों से इन्दौर की पहचान रहा है, का चेहरा बिगाड़ दिया गया है।

बदलती आर्थिक परिस्थितियों के चलते स्मार्ट मोहल्ला (सिटी) बनाने में काम तमाम किए गए मोहल्ले के अधिकांश मकान अपने पुराने बीत चुके वैभव की जीवंत तस्वीर थे, अपने वर्तमान

खण्डहरनुमा स्वरूप में। स्मार्ट सिटी के नीतिगत दस्तावेजों के हिसाब से तयशुदा शहर की विरासत (हेरिटेज) को बचाना और संवारना स्मार्ट सिटी परियोजना का प्रमुख लक्ष्य है। परन्तु यहां इसका उल्टा ही हुआ। दूसरी ओर कपड़ा बाजार/क्लाथ मार्केट का हश्र हमें बतला रहा है कि हम अपनी विरासत के प्रति कितने क्रूर हैं। कोई और देश होता तो अपनी 150 वर्ष पुरानी विरासत, अपने सबसे पुराने मोहल्ले को नए सिरे से संवारता, उसे पुन: निर्मित करता, रिक्रियेट करता परन्तु यहां तो उसे सिरे से नष्ट कर दिया गया। उसका वास्तविक स्वरूप अब कभी लौट नहीं पाएगा। स्मार्ट सिटी की जद में आए अधिकांश मोहल्लों को अपनी गरीबी, बेबसी और लाचारी की सजा मिली है। वहीं शहर का अपना पारंपरिक स्वरूप व कलेवर भी बिखर गया है ।

इसीलिए स्मार्ट सिटी/मोहल्ले की परियोजना में निहित निहितार्थों को ठीक से समझने की बेहद जरूरत है। जिन रहवासियों के मकान टूटे, दुकाने टूटीं, दफ्तर नष्ट हुए उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय नहीं निर्णय मिला और वे खाली हाथ हो गए। उनका भरा पूरा संसार उजड़ गया। परन्तु विकास (आधुनिक) के बीच में कोई आ नहीं सकता, संवेदना तो कतई नहीं। विकास का बुलडोजर (अब जे.सी.बी. और पोकलेन) वो सब तहस नहस कर देता है, जो दशकों से, शताब्दियों से मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता चला आ रहा है। स्मार्ट सिटी/मोहल्ला परियोजना आधुनिक विकास के उन सारे अवयवों, हिस्सों, अंगों की वकालत करते हुए समझाती है, कि कैसे चौड़ी सड़क बन जाने से, नाली बन जाने से, केबल आदि डल जाने से, नए तरह के खंबे लग जाने से और ऐसे अन्य काम कर देने से शहर स्मार्ट या चकाचक हो जाएगा। परन्तु यह परियोजना यह नहीं समझाती कि जो बेघर होंगे उन पर क्या बीतेगी। तीन मंजिले, (टूटे फूटे ही सही) मकान में रहने वाला परिवार एक कमरे के मकान में कैसे समाएगा ? परन्तु विकास की कीमत तो चुकानी ही होगी। किसे ? यह बताने की जरूरत नहीं है।

सैकड़ों करोड़ रु. की इस परियोजना के दृष्टिपत्र को पढ़ने से लगता है कि जैसे स्वर्ग को जमीन पर उतारा जा रहा है। पर वास्तव में ऐसा है क्या ? वास्तविकता यह है कि छद्म स्वर्ग की आड़ में हजारों–हजार नागरिक नर्क में भेजे जा रहे हैं, नारकीय जीवन जीने को मजबूर किए जा रहे हैं। इस योजना में आप पाएंगे कि वर्तमान में आबाद इस क्षेत्र को अधिक प्रभावशाली व रहने योग्य बनाया जाएगा। इसका पुन: विकास होगा। हरित विकास होगा, शहर भर का विकास होगा। पर जब इन इलाकों में रहने वाले दशकों–दशक से रहने वाले मूल निवासी ही बेदखल कर दिए तो विकास किसके लिए कर रहे हैं, मोहल्ला किसके लिए स्मार्ट बना रहे हैं ? जाहिर यह बताने समझाने की जरूरत नहीं है।

तमाम कोशिशों के बावजूद यदि कोई मूल निवासी यहां रह पाया तो भविष्य के कर (टेक्स)

उसकी कमर तोड़ देंगे। इस बड़े मोहल्ले में रहने वाले समुदाय के लोकतांत्रिक आधिकारों में जबरदस्त कटौती हो जाएगी। स्थानीय चुनी हुई संस्था, जैसे नगर निगम आदि कालांतर में अर्थहीन हो जाएंगे। हम माने या न माने इन्दौर में स्मार्ट सिटी एक त्रासदी और अभिशाप की तरह हमारे सामने आ रही है। शहरियों का अपने शहर की विरासत के प्रति घटता आग्रह इस तरह की परियोजनाओं को शुरु तो करवा देता है, और भौतिक स्तर पर लेटलतीफी के साथ पूरा भी करा देता है। परंतु स्मार्ट सिटी परियोजना अनजाने में एक बेहतर शहर, एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर मनुष्य की परिकल्पना को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश में बदलती नजर आती है।

विषय प्रवेश

इन्दौर (मध्यप्रदेश) में स्मार्ट सिटी परियोजना की केस स्टडी में इस विचार और इन परियोजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों का सिंहावलोकन शामिल है। इसकी शुरूआत इन्दौर शहर से संबंधित जानकारियों और किस प्रकार से स्मार्ट सिटी मिशन (एस.सी.एम.) की अवधारणा तैयार हुई और उसके बाद किस तरह क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या ए.बी.डी.) और शहर भर में परियोजनाओं के माध्यम से इन्हें क्रियान्वित किया गया, से हुई। इस रिपोर्ट में संक्षेप में चर्चा की गई है कि किस तरह स्मार्ट सिटी चेलेंज (स्मार्ट सिटी चुनौती) के अन्तर्गत पांच चरणों में 100 शहरों का चयन किया गया, विशेष उद्देश्य कंपनी (स्पेशल परपज व्हीकल, एस.पी.वी.) बनाई गई और इन्दौर सहित पूरे देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) माडल को लागू करके परियोजना को क्रियान्वित किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन को चार आयामों के अन्तर्गत विकसित किया जाना है, लेकिन इन्दौर में इसी के साथ इसमें दो अन्य विशिष्ट आयाम भी जोड़े गए। इस रिपोर्ट में पूर्ण हो चुके, जिनमें कार्य चल रहा है और प्रस्तावित परियोजनाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी को एकत्र कर उनका संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है।

इस अध्ययन में देखा गया कि स्मार्ट सिटी जैसी विशाल परियोजनाओं को किन माध्यमों से वित्तपोषण किया जा रहा है, उदाहणार्थ केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा वित्त प्रदाय, अभिसरण (कन्वरजेंस) योजनाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराना, निजी स्रोतों से वित्त आदि एवं राजस्व के ऐसे स्त्रोतों की परिकल्पना करना जिससे कि इन परियोजनाओं से लाभ की प्राप्ति हो सके, नये शुल्क लागू करना और करों की राशि में वृद्धि आदि। इस अध्ययन में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखा गया है, यथा, इनका स्थानीय समुदायों, आस–पास के वातावरण और प्राकृतिक संसाधनों जिन पर कि शहर की जनसंख्या निर्भर है, वर्तमान में और भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि विशेष तौर पर इन्दौर की बात करें तो यहां स्मार्ट सिटी विकसित करने के नाम पर व्यापक स्तर पर निजी संपत्ति को ध्वस्त करना आदि कानून का उल्लंघन प्रतीत होता है।

इस अध्ययन के माध्यम से सेंटर फार इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध दायर कानूनी याचिका का विस्तृत विवरण देते हुए स्मार्ट सिटी इन्दौर की असंवैधानिक प्रकृति का विश्लेषण किया है। यह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के लाभ इन्दौर के बहुत कम (प्रतिशत) लोगों को प्राप्त होंगे जबकि इसका (आर्थिक) भार

इन्दौर की बहुसंख्य आबादी को ढोना पड़ेगा। निजी वित्तीय पोषण की कमी, प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव और स्मार्ट सिटी मिशन की इन्दौर तथा अन्य शहरों में सफलताओं को लेकर एकतरफा बयान ऐसे मुद्दे हैं, जो कि प्रश्नों के घेरे में हैं और ये विस्तृत अध्ययन की मांग करते हैं।

इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमें अनेक व्यक्तियों की मदद मिली है। हम इस हेतु विशेष रूप से श्री आनंद मोहन माथुर (वरिष्ठ अधिवक्ता और भूतपूर्व महाधिवक्ता, म.प्र. शासन) द्वारा इस रिपोर्ट के लिखने में उनके द्वारा की गई चर्चा और मदद के लिए विशेषत:कृतज्ञ हैं। बिना नामों का उल्लेख किए हम उन अनेक व्यक्तियों एवं संगठनों, सभी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस अध्ययन के दौरान सहायता प्रदान की है। बतौर निष्कर्ष कहा जा सकता है कि इन्दौर के स्मार्ट सिटी मिशन की इस रिपोर्ट पर कार्य करना बेहद सीखने वाला अनुभव रहा। इसने हमें देशभर में अन्य शहरों में चल रहे मिशनों को देखने हेतु अंर्तदृष्टि भी प्रदान की। हम निकट भविष्य में इन्दौर व अन्य स्मार्ट सिटी (शहरों) के दस्तावेजीकरण व विश्लेषण का कार्य जारी रखेंगे।

इंदौर शहर का सिहांवलोकन

इन्दौर शहर की एक व्यापारिक बाजार के रूप में स्थापना नर्मदा नदी घाटी मार्ग के स्थानीय जमींदारों ने की थी।

चित्र क्र. 1 – इन्दौर का सामान्य नक्शा

जमींदारों ने सन् 1741 ई. में इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया जिसमें भगवान इंद्र की मूर्ति स्थित है और उन्हीं के नाम पर इन्दौर शहर का नामकरण भी हुआ। इन्दौर का ऐतिहासिक महत्व भी है। ब्रिटिश राज के दौरान इन्दौर एक रियासत रही है, जिस पर कि भारतीय संघ का हिस्सा बनने तक मराठा होल्कर राजवंश शासन करते रहे। सन् 1950 से 1958 तक इन्दौर–ग्वालियर के साथ सम्मिलित रूप से तब तक मध्य भारत की राजधानी बना जब तक कि इसका मध्यप्रदेश में सम्मिलन नहीं हो गया।[1]

इन्दौर को भारत के टियर–2 शहरों में गिना जाता है। इसकी आबादी 20 लाख लोगों से ज्यादा है, जिसके कि यह मध्यप्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया है। साथ ही यह भारत का 14वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इन्दौर पश्चिमी मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण संग्रहण

व वितरण केन्द्र है और यहां दवाइयों, पेन्ट, छपाई आदि व्यापार विनिमय के साथ ही साथ यह व्यावसायिक व औद्योगिक केन्द्र भी है। इन्दौर के महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल हैं, कपड़ों का निर्माण, रसायन (केमिकल), फर्नीचर, रेडीमेड वस्त्र, दाल मिलें और धातु का कार्य।[2] इसके अतिरिक्त यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र भी है जहां पर आई.आई.टी. व आई.आई.एम. के अलावा अनेक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान भी मौजूद हैं। इन्दौर के आस–पास देवास और पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित हैं। मध्य भारत का यह शहर भौगोलिक रूप से बहुत ही उत्तम जगह स्थित है। शहर भारत के सभी इलाकों से अच्छे से जुड़ा है। यहां रेल जंक्शन है, हवाई अड्डा है और यह सड़क मार्ग से भी जुड़ा है। इससे इसकी भारत के सभी हिस्सों तक अच्छी पहुंच है।

स्मार्ट सिटी इन्दौर

स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि शहरी विकास हेतु भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, को एक ऐसी उच्च श्रेणी की पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भारत के शहरी परिदृष्य को रूपांतरित कर देगा। स्मार्ट सिटीज मिशन के पहले चरण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने हेतु लक्षित किया गया है। इसी तरह 500 शहरों को अमृत (AMRUT) के अन्तर्गत विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु 48,000 करोड़ रुपये का एवं अमृत हेतु 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले चरण के अन्तर्गत 20 शहरों का चयन जनवरी–2016 में ''स्मार्ट सिटी चेलेंज कम्पीटीशन'' (स्मार्ट सिटी चुनौती प्रतियोगिता) के माध्यम से किया गया। बाद के चरणों में मिशन के हिस्से के तौर पर 79 अन्य शहरों का चयन किया गया। अभी एक शहर का चयन होना बाकी है।[3] इन शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार अगले 5 वर्षो में तकरीबन 96,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें से 48,000 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के खजाने से आएंगे और कार्यक्रम की शर्तो के अनुसार इतनी राशि का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।

चयनित शहरों (प्रत्येक) में केन्द्र सरकार 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इतनी राशि राज्य सरकारें अनुदान के रूप में खर्च करेगी। मिशन के अन्तर्गत नगरपालिका स्तर पर इस परियोजना का क्रियान्वयन एस.पी.वी. के माध्यम से होगा, जो कि एक लिमिटेड कंपनी होगी और इसे व्यापक नगरीय शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से नहीं जोड़ा गया है। एस.पी.वी. का गठन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व नगरीय इकाई के मध्य के एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से होगा। निगरानी के लिए, एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है जो कि, अमेरिका में स्थित ''स्मार्ट सिटी काउंसिल''[4] का हिस्सा होगी।

मिशन के अन्तर्गत निम्न चार तरीकों से स्मार्ट सिटी के विकास को हाथ में लेना प्रस्तावित है,

ये हैं रिट्रोफिटिंग (किसी भवन आदि में बाद में जोड़ा गया हिस्सा/पुराने भवन आदि में नया सामान लगाना अर्थात् अनुरूपांतर, पुनर्विकास, हरित क्षेत्र विकास और पूरे शहर का विकास। उपरोक्त तरीकों का इस्तेमाल चयनित शहर के उस करीब 500 एकड़ क्षेत्र में इंटरनेट आधारित प्रयोगों से किया जाएगा जहां पर पहले से ही अधोसंरचना मौजूद हो।

स्मार्ट सिटीज मिशन रणनीति[5] अनुरूपांतर, पुनर्विकास, हरित क्षेत्र विकास और संपूर्ण शहर विकास की निम्न परिभाषा देती है।

अनुरूपांतर (रिट्रोफिटिंग) के अन्तर्गत मिशन एक ऐसी योजना आरंभ करेगा, जिसमें कि वर्तमान में विद्यमान निर्मित क्षेत्रों (बिल्ट–अप) का उपयोग स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। इसी के साथ इसमें अन्य उद्देश्य जैसे कि वर्तमान विद्यमान क्षेत्रों को अधिक गतिशील व बेहतर रहने लायक बनाना, भी शामिल हैं। अनुरूपांतर के अन्तर्गत 500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र का चयन शहर के नागरिकों से विचार विमर्श द्वारा किया जाएगा। साथ ही चिन्हित क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक सेवाओं का वर्तमान स्तर को नागरिकों के विचारों के आधार पर शहर को स्मार्ट बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। चूंकि इस मॉडल के अन्तर्गत विद्यमान ढांचों को व्यापक तौर पर बनाए रखा जाएगा, ऐसे में उम्मीद है कि अधोसंरचनात्मक सेवाओं का स्तर अधिक फैलाया जाएगा और अनुरूपांतरित स्मार्ट सिटी में बड़ी संख्या में बेहतर (स्मार्ट) एप्लीकेशंस (इलेक्ट्रॉनिक साफ्टवेयर) का प्रयोग किया जाएगा।

पुननिर्माण (रीडेवेलपमेंट)वर्तमान में विद्यमान निर्मित परिवेश के स्थानापन्न (प्रतिस्थापन) को प्रभावित करेगा और मिश्रित भू–उपयोग एवं बढ़ते घनत्व का उपयोग करते हुए बढ़ती अधोसंरचना हेतु नए विन्यास (ले–आउट) के सह–निर्माण में सक्षम होगा। पुनर्निर्माण 50 से अधिक उन क्षेत्रों हेतु अभिकल्पित होगा, जिनकी पहचान स्थानीय नगरीय इकाइयों द्वारा नागरिकों से विचार विमर्श के बाद की गई होगी।

ग्रीनफील्ड डेवेलपमेंट को एक स्मार्ट समाधान (स्मार्ट साल्युशन) के रूप में पहले से रिक्त क्षेत्र में नए तरीके की योजना, योजना वित्तपोषण एवं योजना क्रियान्वयन साधनों (अर्थात् लेंड पूलिंग/भूमि पुन: उपयोग पुर्ननिर्धारण) के माध्यम से वहन कर पाने योग्य रिहाइश(अफोर्डेबल हाउसिंग) खासकर गरीबों हेतु किया जाएगा। शहर के इर्द गिर्द ग्रीनफील्ड डेवेलपमेंट की आवश्यकता बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है।

पूरे शहर का विकास (पैन सिटी डेवलपमेंट एप्लीकेशंस) वर्तमान में पूरे शहर में फैली अधोसंरचना को स्मार्ट सॉल्युशन के आधार पर लागू करने पर आधारित है। स्मार्ट सॉल्युशंस एप्लीकेशंस का उपयोग तकनीक, सूचना और आंकड़ों (डॉटा) का इस्तेमाल अधोसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।

मिशन की रणनीति में आगे कहा गया है कि, ''प्रत्येक चयनित स्मार्ट सिटी में यह प्रस्तावित है कि वह या तो अनुरूपांतर या पुनर्निर्माण या इन दोनों के मिश्रण और एक पूरे शहर हेतु स्मार्ट सॉल्युशंस के आधार पर शहर को संपुटित (एन्केप्सलेट) करेगा''। यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि पूरे शहर को विकास उपलब्ध कराया जाना एक अतिरिक्त विशिष्टता या लक्षण है। चूंकि स्मार्ट सिटी का दृष्टिकोण एक सघन या सुगठित क्षेत्र को लेकर है, अतएव यह अनिवार्य है कि शहर के सभी निवासी यह महसूस करें कि इसमें उनके सबके लिए भी कुछ न कुछ है। अतएव इसे समावेशी योजना (स्कीम) बनाने हेतु इस पूरे शहर में कुछ (कम से कम एक) स्मार्ट सॉल्युशंस को अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में जोर दिया गया है।[6]

मिशन में केन्द्र व राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ संमिलन (कन्वर्जन्स) की बात भी की गई है। इसमें कहा गया है कि ''इसके अन्तर्गत शहरी रूपांतरण को फलित करने हेतु अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एण्ड अरबन ट्रांसफॉरमेशन (अमृत),एवं स्मार्ट सिटीज मिशन के बीच मजबूत संपूरकता (काम्पिलमेंटरिटी) मौजूद है। यद्यपि अमृत एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण का पालन करता है वहीं स्मार्ट सिटीज मिशन क्षेत्र आधारित रणनीति पर चलता है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्मिलन के प्रयास से जबरदस्त फायदे लिए जा सकते हैं। गौरतलब है योजना निर्माण के स्तर पर ही यह अनिवार्य है कि स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन,विरासत शहर विकास और विस्तार योजना (नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एवं औग्मेंटेशन योजना (हृदय), डिजिटल इंडिया, कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट), सभी के लिए घर (हाउसिंग फॉर आल),संस्कृति विभाग के वित्तीय सहयोग से संग्रहालयों का निर्माण तथा साथ ही साथ सामाजिक अधोसंरचना जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के साथ इनका सम्मिलन तलाशा जाएगा।''[7]

''स्मार्ट सिटी चुनौती चेलेंज राउंड–1'' के अंतर्गत स्मार्ट शहरों का चयन फास्ट ट्रेक राउंड के द्वारा किया गया और इसमें देश भर से 20 शहरों का चयन स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए किया गया। अन्य 13 शहरों का चयन दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में 30 शहरों को चुना गया और चौथे राउंड में मिशन हेतु 9 शहर चयनित हुए। इस तरह से कुल 99 शहरों को इसके अन्तर्गत लाया गया और मिशन के आखिरी शहर यानी 100वें शहर के रूप में शिलांग का चयन किया गया।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सिटी चेलेंज के पहले ही दौर में इन्दौर का चयन किया गया था। इन्दौर मध्यप्रदेश के उन 7 शहरों में से एक है, जिसका चुनाव स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है। इन्दौर की प्रस्तावित स्मार्ट सिटी योजना में क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी., एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) एवं पूरे शहर (पैन सिटी) का विकास, दोनों का मेल है। क्षेत्र आधारित विकास शहर के विशिष्ट क्षेत्र में अधोसंरचना विकास पर केंद्रित होगा। जब पूरे शहर (पैनसिटी) से अर्थ है कि ऐसी स्मार्ट तकनीक पर ध्यान देना जो कि शहर में एक समेकित प्रणाली को मूर्त रूप देगी एवं आंकड़े (डॉटा) उपलब्ध करवाकर एक अधिक कार्यक्षम प्रणाली उपलब्ध करवाएगी। पूरे शहर विकास के

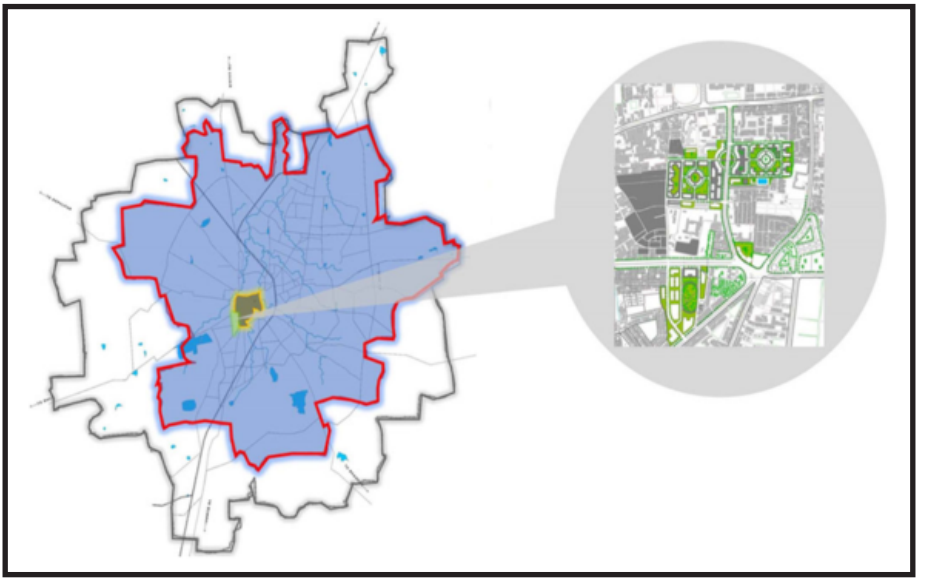

चित्र क्र. 2 – इन्दौर स्मार्ट सिटी पुनर्विकास क्षेत्र

माध्यम से उम्मीद कि इन्दौर को एक समेकित यातायात मीटरिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अधिक कुशल (इंटेलिजेंट) यातायात प्रणाली प्राप्त हो सकेगी।[8] इन्दौर के नागरिकों के सर्वेक्षण को एकत्रित करके एवं नगर निगम के आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से इन्दौर नगर निगम ने यह सुनिश्चित किया कि किस क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए और यदि पुनर्विकास किया जाता है तो शहर के किस हिस्से से इन्दौर को सर्वाधिक लाभ उपलब्ध हो पाएगा। स्मार्ट सिटीज मिशन के अनुसार इन्दौर में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी योजना नागरिकों के लिए उनकी स्मार्ट सिटी की आकांक्षा को प्रतिबिंबित करती है और विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। सार्वजनिक विमर्श व सुनवाई का आयोजन किया तो गया था, लेकिन इन्दौर के नागरिकों के अनुसार इन सम्मेलनों का आयोजन बड़े होटलों में किया गया जहां पर अधिकांश नागरिकों की पहुंच सीमित थी। इन बैठकों में भाग लेने वाले विशिष्ट बड़े व्यापारिक समूहों आदि के सदस्य थे, जिनके कि स्मार्ट सिटीज परियोजनाओं में अपने ही हित निहित हो सकते हैं।

इन्दौर के क्षेत्र आधारित विकास को ''राजबाड़ा कायाकल्प'' के नाम से जाना जाता है। इसमें शहर की कुल नगरीय भूमि 70000 एकड़ में से मात्र 742 एकड़ क्षेत्र जो कि कम विकसित (डाउन टाउन) एवं केंद्रीय व्यापार क्षेत्र (सेंट्रल बिज़नस डिस्ट्रिक्ट,सी.बी.डी.) में स्थित है को सम्मिलित किया गया। परियोजना का लक्ष्य है कि वर्तमान क्षेत्र को अनुरूपांतर किया जाए एवं इसी के साथ भूमि के एक निश्चित हिस्से का पुनर्विकास भी करना होगा।

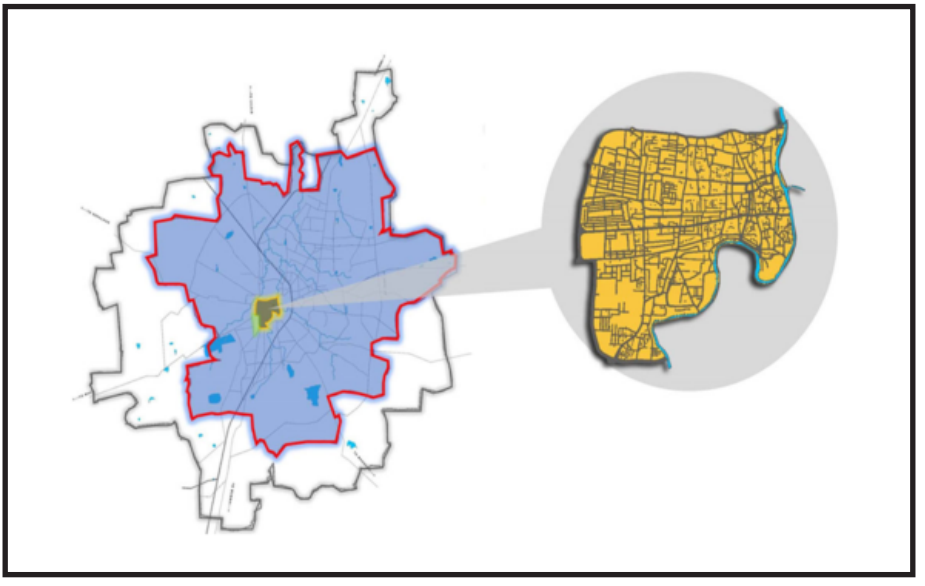

चित्र क्र. 3 – इन्दौर क्षेत्र आधारित विकास मानचित्र[9]

क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) में निम्न परियोजनाएं शामिल होंगी :

- यातायात और पैदल चलने की सुविधा
- सार्वजनिक भूमि का पुनर्विकास
- जलआपूर्ति, गंदे पानी और स्वच्छता का प्रबंधन
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- विद्युत वितरण एवं कुशलता
- भूमिगत बिजली व्यवस्था और अन्य जनोपयोगी सेवाओं को स्थापित करना।
- सूचना तकनीक (आई.टी.) की उपलब्धता (कनेक्टिविटी) एवं आई.टी. आधारित सरकारी सेवाएं।

करीब 164 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि पर पुर्ननिर्माण का कार्य होगा और इससे 1.20 लाख लोग प्रभावित होंगे। पुर्ननिर्माण से प्रभावित 1.20 लाख लोगों में से 28625 मलिन बस्तियों के निवासी हैं जो कि 27 बस्तियों में निवास करते हैं। वैसे इन्दौर शहर की सीमा में करीब 600 मलिन बस्तियां मौजूद हैं। पुर्ननिर्माण का यह कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जो कि सभी शहरी निवासियों के आवास हेतु है, के साथ मिलकर किया जाएगा। मिशन के अनुसार सार्वजनिक भूमि

पुर्ननिर्माण का लक्ष्य है एक सुगठित अत्यधिक सघन मिश्रित प्रयोग वाले क्षेत्र का निर्माण, समुदाय के भ्रमण के लिए स्थान (वाकेबल कम्युनिटीज), साझा सार्वजनिक खुले स्थान, साझा पार्किंग, हरित भवन, बारिश के पानी का संग्रहण (रेन वाटर हारवेस्टिंग) और छत पर सौर संयंत्र (सोलर प्लांट) जो कि ऊर्जा की मांग का 25 प्रतिशत तक उपलब्ध करवा सकें।

इन्दौर स्मार्ट सिटी का दावा है कि वह राजबाड़ा का पुनुरूद्धार करेगी और इसकी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को कायम रखते हुए इसे एक स्पंदित केंद्रीकृत व्यापार क्षेत्र (सी.बी.डी.) में रूपांतरित करेगी। इन निर्णय के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। इस अध्ययन के उद्देश्य से नागरिकों से हुए संवाद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी परियोजनाएं जो कि विकास करने का आभास तो देती हैं लेकिन वे अंतत: बजाए संरक्षण के नुकसान अधिक पहुंचाएंगीं। पुनुरूद्धार के नाम पर शहर के बियाबानी और कपड़ा बाजार (क्लॉथ मार्केट) जैसे क्षेत्रों का विध्वंस किया जा रहा है।

इन्दौर के पूरे शहर का विकास निम्न बिन्दुओं पर केंद्रित होगा :

- मूलभूत (बेकबोन) संचार नेटवर्क, वास्तविक समय आधारित आंकड़ों के विश्लेषण और सूचनाओं के प्रसार हेतु ऐसा डेशबोर्ड, जिसका कि बहुउद्देशीय उपयोग हो पाए, हेतु एक नियंत्रण केन्द्र।
- कुशल (इंटेलिजेंट) यातायात प्रणाली (ITS)
- कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ISWM)
- पूरे शहर हेतु प्रस्तावित लक्ष्य के घटकों का क्रियान्वयन
- बहुउद्देशीय संचार नेटवर्क
- स्वचलित यातायात नियंत्रण प्रणाली जिसमें पदयात्रियों द्वारा सड़क पार करते समय सिग्नल का स्वमेव सक्रिय होना शामिल है
- सायकिल चालन से सक्रिय सिगनल
- लेन की निगरानी और नियंत्रण चिन्ह
- गतिशील (स्फूर्त) संदेश बोर्ड जिनमें मोबाइल इंटरफेस होगा जो कि नागरिकों को रास्ते की जानकारी उपलब्ध करवाएगा
- वास्तविक समय आधारित वाहन ट्रेकिंग एवं वाहनों के समूह (फ्लीट) के प्रबंधन की प्रणाली
- यात्रियों में जानकारी का प्रसार करना
- वीडियो से निगरानी

- पार्किंग क्षेत्र की क्षमता और उपलब्धता के आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु सेंसर एवं कैमरे।
- प्राथमिक व द्विगणक (सेकेंडरी) अपशिष्ट (कचड़ा) संग्रहण के स्त्रोत एवं संग्रहण के प्रबंधन हेतु जानकारी
- जी.आई.एस. आधारित संपत्ति प्रबंधन, जो कि कचड़े की पेटियों (वेस्ट बिन्स), वाहन, व्यक्तियों, कचड़े (अपशिष्ट) परिवहन के मार्ग का मेपिंग और जी.पी.एस. आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली (वी.टी.एम.एस.) की जिओ फेंसिंग के माध्यम से होगा।
- तौल काटों का निरीक्षण एवं निगरानी और अपशिष्ट निपटान सुविधाएं जिसमें स्मार्ट कचड़े (स्मार्ट वेस्ट) से ऊर्जा संयंत्र हेतु स्मार्ट कन्वेयर बेल्ट एवं पूलिंग डिवाइस (संग्रहीकरण) हेतु उपाय शामिल हैं।

स्थानीय निवासियों ने बातचीत के दौरान बताया कि कार्य को शुरू हुए तीन वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक परियोजनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। सड़कों का निर्माण समय पर नहीं हुआ है, जबकि इनमें से कुछ सड़कों के आस–पास के मकान तीन वर्ष पहले तोड़े/गिराए जा चुके हैं । इतना ही नहीं जो लोग विस्थापित हुए हैं या जिनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें यथोचित मुआवजा भी नहीं मिला है।

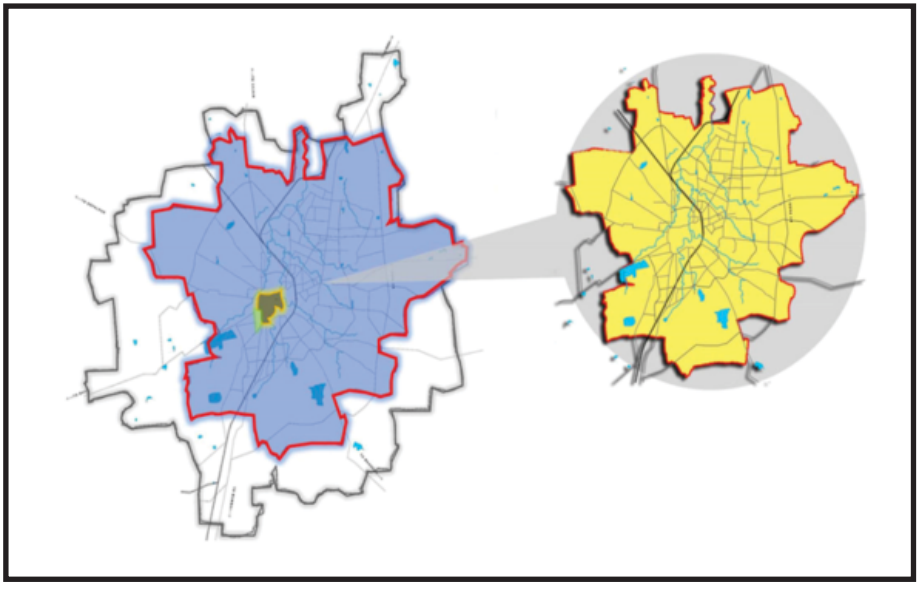

चित्र क्र. 4 – इन्दौर पैन सिटी डेवलपमेंट मैप[10]

क्षेत्र आधारित विकास और पूरे शहर के विकास हेतु कौन से क्षेत्र को लक्षित किया जाएगा, को

लेकर निर्णय तीन अलग–अलग समूहों द्वारा दी गई सलाहों पर आधारित था। पहला समूह इन्दौर के नागरिकों का था, जिन्होंने सर्वेक्षण दौरान बताया कि यातायात, पैदल चलना और अपशिष्ट (कचड़ा) प्रबंधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसले हैं। सर्वेक्षण में भागीदारी करने वाले नागरिकों में से 42 प्रतिशत चाहते थे कि शहर की योजना बनाने में सूचना संचार तकनीक के तरीकों (समाधानों) का बेहतर इस्तेमाल हो।

जिस दूसरे समूह से सलाह मशविरा किया गया वह चुने हुए जनप्रतिनिधियों का था। उनका विश्वास था कि सूचना संचार तकनीक का ऊपर वर्णित क्षेत्रों के सुधार हेतु इस्तेमाल हो, समाधानों से लघु अवधि में सुधार स्पष्ट तौर पर दिखाई दें, समाधान अपव्यय करने वाले न हों एवं सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए विश्वस्तरीय सार्वजनिक सेवाएं निर्मित हों एवं इनमें सभी को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए और जिन क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाए उनका कार्य करने की स्थिति को लेकर अतिरिक्त व बेहतर सामाजिक प्रभाव पड़े।

जिस तीसरे समूह ने परियोजना का अंतिम रूप से निर्धारण किया वह शहर नियोजकों व विषय (सेक्टर) विशेषज्ञों का था। नियोजन करने वाले एवं विशेषज्ञ शहरी विकास मंत्रालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय,डी.एफ.आई.डी., विकास प्राधिकरण,शहरी विकास मंत्रालय के सूचीबद्ध (ईमपेनल्ड) विशेषज्ञ व संस्थान तथा निजी प्रोफेशनल थे। उनका विश्वास था कि स्मार्ट सिटी के विकास से अधिकतम लोगों को लाभान्वित होना चाहिए, मध्यप्रदेश के अन्य शहरों के लिए यह एक सफल मॉडल की तरह प्रस्तुत हो, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास हो जिससे कि अर्थव्यवस्था का रूपांतरण संभव हो सके और हमें वांछित परिणाम आर्थिक तौर पर प्रभावशाली ढंग से और शीघ्र प्राप्त हो सकें। विशेषज्ञ इस बात पर भी राजी थे कि स्मार्ट सिटी के विकास हेतु सभी क्षेत्रों में सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता है। शहर के अधिकतम नागरिकों को सीधे–सीधे प्रभावित कर सूचना तकनीक सेवाएं लोगों की जीवनशैली को प्रभावित कर सकती हैं और आई.सी.टी. के इस्तेमाल से नगरीय ठोस अपशिष्ट के बेहतर परिचालन व रखरखाव पर केंद्रित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि इस विमर्श में जो समूह शामिल थे उन्होंने साधारण नागरिकों के विचारों और हितों की अनदेखी की है। नागरिक समूहों का विचार है कि इससे शहर के सीमित नागरिकों को ही लाभ मिलने की अपेक्षा है।

इन्दौर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में इन्दौर की सफलताओं और कमियों को भी रेखांकित किया गया है। जैसा कि शहर में सार्वजनिक यातायात और पैदल चलने वालों के लिए अपर्याप्त अधोसंरचना है। शहर की वर्तमान में विद्यमान 355 किलोमीटर सड़कों में से आधे से कम में सार्वजनिक यातायात उपलब्ध है, केवल 27 प्रतिशत में फुटपाथ मौजूद हैं और इनमें से 8 प्रतिशत ही पैदल चलने वालों के अनुकूल हैं। अपर्याप्त सार्वजनिक यातायात की वजह से बढ़ते निजी वाहनों के कारण इन्दौर जबरदस्त भीड़ भरा शहर हो गया है।

इन्दौर में सीवेज उपचार (ट्रीटमेंट) में भी कमी है। वर्तमान में इन्दौर में प्रतिदिन तकरीबन 1,100 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है। इन्दौर में इसके संग्रहण, यातायात कुशलता और अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना में सुधार की आवश्यकता है।

इन आयामों (पक्षों) को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा। परंतु क्षेत्र आधारित विकास के तहत यातायात और अपशिष्ट निपटान पर विशेष ध्यान रखा जायेगा। परिशिष्ट के अन्तर्गत आपको ए.बी.डी. और पूरे शहर की परियोजनाओं की जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ परियोजना के लक्ष्य, पूर्ण होने की संभावित तिथि और प्रत्येक परियोजना की लागत भी ज्ञात हो सकेगी।

जयरामपुर, इन्दौर में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त मकान

स्मार्ट सिटी इन्दौर के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्थिति

स्मार्ट सिटी इन्दौर की वेबसाइट के अनुसार अक्टूबर 2019 तक 40 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में कुल परियोजना लागत में से 116.65 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। पूर्ण हो चुकी योजनाओं में शामिल हैं, जी.पी.एस. आधारित वाहन ट्रेकिंग (समाधान, निगाह रखना) अपशिष्ट स्थानांतरण केन्द्रों का निर्माण, अपशिष्ट संग्रहण संबंधी आंकड़ों की विवेचना हेतु एप का निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, अपशिष्ट का जैविक उपचार (बायो रीमेडीएशन), नेटवर्क की स्थापना, विरासत इमारतों का निर्माण और जीर्णोद्धार, विज्ञापन हेतु स्थानों का आवंटन, जैव मिथेनीकरण (बायो मीथेनेशन) हेतु रसायन की आपूर्ति, और विद्युतीकरण एवं सी.सी.टी.वी. कार्य। [11]

निर्माणाधीन योजनाएं :

स्मार्ट सिटी इन्दौर के अन्तर्गत वर्तमान में 48 परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों पर कार्य जारी है। निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल लागत 232.42 करोड़ रुपये है। इन निर्माण (सिविल) कार्यो में शामिल हैं, अपशिष्ट स्थानांतरण केन्द्रों का निर्माण और तोड़–फोड़, स्थानांतरित स्टेशनों पर उपकरणों की आपूर्ति एवं उन्हें शुरु करना, सड़क के बीच में बाटने वाले (डिवाइडर) अधोसंरचना का निर्माण एवं उनमें बिजली के खंबों को लगाना, भूमिगत केबल प्रणाली की जांच करना और स्थापित करना, सड़कों का सुधार करना, पुलों का निर्माण, अधोसंरचना एवं विद्यालयों में विकास एवं निर्माण कार्य, रिवरफ्रंट विकास कार्य, पुलों का चौड़ीकरण, कचड़े से ऊर्जा संयंत्रों को कार्यान्वित करना, विरासत इमारतों की मरम्मत और पुनर्विकास, मलिन बस्तियों में मकानों का निर्माण और अधोसंरचना का विकास और एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट लगाना। [12]

प्रस्तावित परियोजनाएं :

यहां पर प्रस्तावित परियोजना कि कुल संख्या 66 है और अनुमानित लागत 34.96 करोड़ रुपये है। इनमें शामिल हैं, रिवरफ्रंट (नदी के किनारे) विकास, स्मार्ट पोल लगाना, गंदी बस्तियों का सौंदर्यीकरण, हेरिटेज शापिंग काम्पलेक्स, हेरिटेज वाक (विरासत भ्रमण), भूमिगत केबल कार्य, स्मार्ट समंकित रोड नेटवर्क का विकास, क्षेत्र आधारित विकास के अन्तर्गत जल आपूर्ति एवं सीवर प्रणाली में सुधार और निजी सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट लगाना। [13]

इन परियोजनाओं के विस्तृत विवरण जिसमें कि क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के नाम, लागत एवं परियोजना पूर्ण होने की समय–सीमा शामिल है, स्मार्ट सिटी इन्दौर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आंशिक रूप से ध्वस्त एक घर

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (आई.एस.सी.डी.एल.) का गठन

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के निगमन (इनकारपोरेशन) प्रमाणपत्र के अनुसार इसका कंपनी कानून (2013) के अन्तर्गत 11 मार्च 2016 को निगमन हुआ है। इसके अन्तर्गत कंपनी का उद्देश्य इन्दौर शहर के लिए स्मार्ट सिटी विकास परियोजना हेतु ''योजना बनाना, डिजाइन (आकल्पन), विकास, क्रियान्वयन, प्रबंधन, रखरखाव, परिचालन और निगरानी का, कार्य भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप करेगी।''

मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन (MOA) (संस्था के बहिर्नियम)में अन्य चीजों के अलावा इसके मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां, दिए गए अधिकारों का उपयोग, प्रथम निदेशकों की सूची शामिल है।[14]

हालांकि यह तर्क भी दिया जा रहा है कि एस.पी.वी. (विशेष प्रयोजन कंपनी) के क्रियान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप इन्दौर नगर निगम (आई.एम.सी.) जैसी शहरी स्थानीय इकाईयों की ताकत कमजोर होगी, क्योंकि इसकी अनेक भूमिकाएं (कार्य) एवं जिम्मेदारियां स्मार्ट सिटी कंपनी को सौंप दी जाएंगीं। इन्दौर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी परियोजना में शुरुआत से ही कोई नई योजना नहीं बनाई गई और जो भी सड़कें निर्मित हुई हैं, वे 2001 के मास्टर प्लान के अनुसार या अनुरूप हैं।

आई.एस.सी.डी.एल. के निदेशक मंडल में जिलाधीश (कलेक्टर), नगर निगम आयुक्त के साथ ही साथ केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। संलग्न अनुच्छेद में इनकी सूची जिस कार्यालय या विभाग या कंपनी का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, दी गई है।

निम्न चित्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में विभिन्न भागीदारों की क्रमबद्ध भूमिका दर्शाई गई हैं।

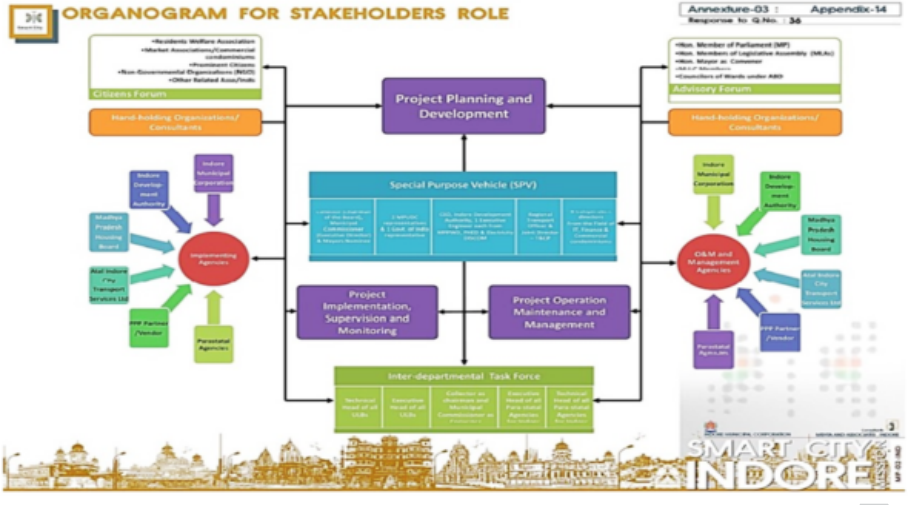

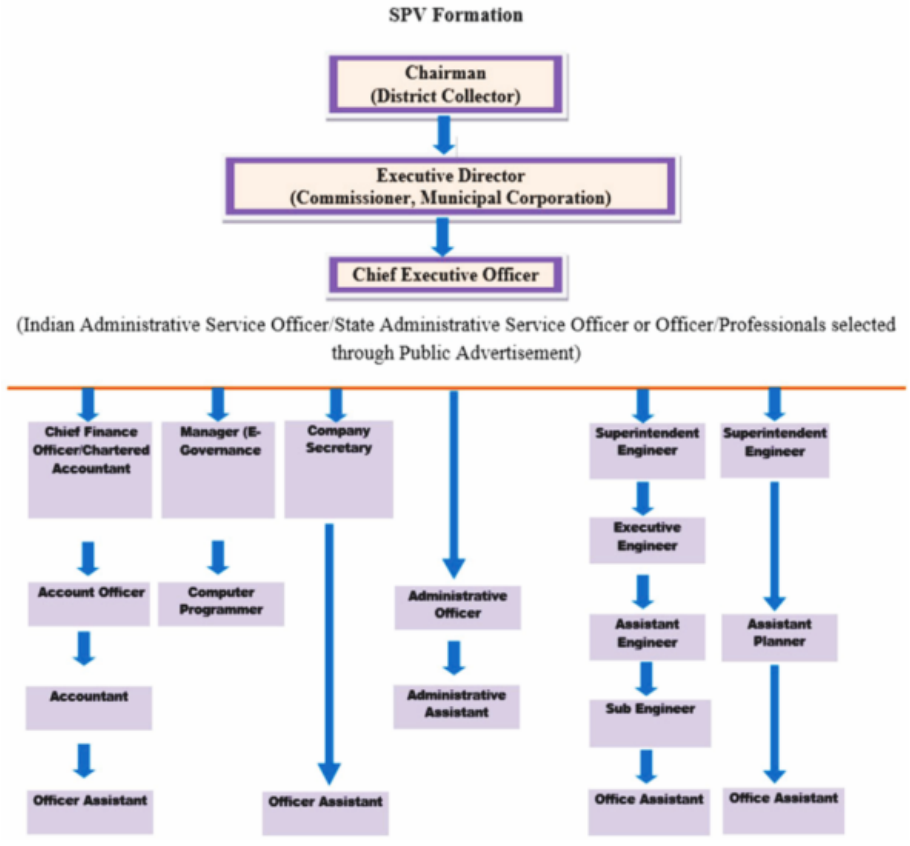

आधिकारिक दिशानिर्देशों में बताया गया है कि सभी स्मार्ट सिटीज में विभिन्न भागीदारों के मध्य सहयोग संभव बनाने के लिए एवं निगरानी हेतु शहर के स्तर पर एक स्मार्ट सिटी सलाहकार परिषद (स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम) स्थापित की जाएगी। इसमें शामिल होंगे, जिले के कलेक्टर, सांसद, विधायक, शहर के महापौर, एस.पी.वी. के मुख्य कार्यकारी आधिकारी (सी.ई.ओ.), स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ और क्षेत्र से कम से कम एक ऐसा सदस्य जो कि :

- पंजीकृत रहवासी कल्याण असोसिएशन (रेसिडेंशियल वेलफेयर असोसिएशन) का प्रतिनिधित्व करने वाला अध्यक्ष/सचिव
- पंजीकृत करदाता असोसिएशन के सदस्य
- मलिन बस्ती स्तरीय फेडरेशन के अध्यक्ष/सचिव
- गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के या महिला मंडली/चेम्बर ऑफ कामर्स/युवाओं की असोसिएशन के सदस्य[15]

इसमें यह भी उल्लेखित है कि एस.पी.वी. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) इस तरह के मंच (फोरम) के संयोजक होंगे। अभी तक सार्वजनिक तौर पर इन्दौर हेतु स्मार्ट सिटी सलाहकार परिषद के गठन की ओर कोई कदम उठाया गया हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि सभी 100 शहरों में से क्रमश: पुणे, श्रीनगर, तिरूअनंतपुरम और अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल इन्हीं शहरों में ऐसी सलाहकार परिषद अथवा फोरम का गठन किया गया है।

इस तथ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है कि एस.पी.वी. के गठन में अभी तक इन्दौर नगर निगम (आई.एम.सी.) एवं इन्दौर विकास प्राधिकरण (आई.डी.ए.) के द्वारा कोई उल्लेखनीय भूमिका अदा नहीं की गई है। इस प्रक्रिया में भारत के संविधान के 74वें संशोधन का उल्लंघन किया गया प्रतीत होता है। ये कानून नगर निकायों को अधिक स्वायत्ता देने से संबंधित हैं और शासन के विकेन्द्रीकरण के विस्तार के हामी हैं।

एस.पी.वी. और शहरी शासन संबंधी प्रश्नों का भविष्य

मिशन का अधिदेश (मेंन्डेट) है कि नगरपालिका स्तर पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन कंपनी कानून–2013 के अन्तर्गत पंजीकृत लिमिटेड कंपनी के माध्यम से गठित एस.पी.वी. के द्वारा किया जाए। स्मार्ट सिटीज मिशन (एस.सी.एम.) के दिशानिर्देशों के अनुसार शहर स्तरीय एस.पी.वी. में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश एवं शहरी स्थानीय इकाइयों की 50:50 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी होगी। इसमें निजी कंपनियों के साथ ही साथ अन्य वित्तीय संस्थान भी अपना दावा रख पाएंगे। परन्तु इस मामले में ध्यान रखना होगा कि राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश एवं शहरी स्थानीय इकाइयों की भागीदारी का 50:50 का प्रतिमान बना रहे और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश और शहरी स्थानीय इकाई की मिलकर बहुमत वाली भागीदारी होनी चाहिए और उन्हीं के हाथ में एस.पी.वी. का नियंत्रण भी होना चाहिए।

मिशन के दिशानिर्देशों में स्पष्ट तौर पर ऐसा खाका तैयार किया गया है जिससे कि एस.पी.वी. को अधिक अधिकार प्राप्त हो सकें। इसमें उल्लेखित है कि एस.पी.वी. का गठन परिचालन में स्वतंत्रता और निर्णय लेने और मिशन के क्रियान्वयन में स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसमें अनुशंसा की गई है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के संदर्भ में नगरपालिका परिषद के अधिकार एवं जिम्मेदारियां एस.पी.वी. को सौंप दी जाएं, शहरी स्थानीय इकाइयों को नगरीय कानून/सरकारी नियमों के अधीन निर्णय लेने संबंधी जो शक्तियां उपलब्ध हैं, उन्हें एस.पी.वी. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दिया जाए, शहरी विकास मंत्रालय/स्थानीय शहरी स्वशासी विभाग/नगर पालिका प्रशासन विभाग को जो अनुमति देने या निर्णय लेने की शक्तियां उपलब्ध हैं वे एस.पी.वी. के निदेशक मंडल को सौंप दी जाएं। साथ ही राज्य सरकारों से अनुमति लेने के अधिकार (स्मार्ट शहरों

हेतु) राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त स्थायी समितियों (एच.पी.एस.सी.) के सुपुर्द कर दिए जाएं। इसके अतिरिक्त अधिकांश शहरी विकास योजनाओं और उन्हें आवंटित धन का सम्मिलन स्मार्ट सिटीज मिशन में कर दिया जाएगा।

संविधान का 74वां संशोधन कानून, 1992 जो कि एक विकेन्द्रित शासन का ढांचा निर्मित करने हेतु स्थानीय शासन एवं नगरीय इकाईयों को सशक्त करता है, के ठीक विपरीत एस.पी.वी. जो कि एक लिमिटेड कंपनी है का गठन और निर्णय लेने के अधिकार उसके सुपुर्द करने वाले केन्द्र सरकार के इस मिशन के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि नगरीय इकाईयों और स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमतर किया जा रहा है। यह मिशन परिवर्तनकारी होने और नए विचारों का प्रतिपादन करने के बजाए व्यापक तौर पर पिछले दो दशकों के दौरान विद्यमान नीतियों की धारणा की निरंतरता का द्योतक है, जिसके अन्तर्गत निजी कंपनियों और निजी सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से जलआपूर्ति, सेनीटेशन, यातायात, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि तमाम सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है। इन सेवाओं को पी.पी.पी. के माध्यम से कुशलता और प्रभावशीलता उपलब्ध करवा पाने में मिली असफलता से सीखने के बजाए, मिशन अब शहर के स्तर पर एस.पी.वी. निर्मित कर शहर के स्थानीय शासन के तौर तरीकों, निर्णय लेने के अधिकारों और परियोजना परिचालन के माध्यम से शहर का थोकबंद निजीकरण कर रहा है।

मिशन में सुशासन से संबंधित अनेक प्रश्न जैसे पारदर्शिता, लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचों की भागीदारी एवं जवाबदेही तथा प्रक्रिया के साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों के प्रति देयता भी इस एस.पी.वी. में नदारद है। मिशन के अंतर्गत,जैसा कि अब प्रतीत होता है कि सारा नियंत्रण एस.पी.वी. का होगा। साथ ही शिकायत निवारण एवं शहर में विभिन्न आयामों में नागरिकों को शामिल किए जाने वाली प्रक्रिया में काफी कमियां हैं। मिशन में एस.पी.वी. के भविष्य के खाके के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, उदाहरणार्थ स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के एक बार पूरा हो जाने के बाद क्या एस.पी.वी. का परिचालन व राजस्व एवं सेवा प्रदान करने पर नियंत्रण जारी रहेगा और यह कब तक जारी रहेगा? यह उस परिस्थिति का भी स्पष्ट उत्तर नहीं देता जहां कि जो निजी कारपोरेशन/वित्तीय संस्थान/निवेशक, शहर स्तर की परियोजनाओं हेतु वित्त लेकर आएंगे उन्हें इसके बदले में क्या एस.पी.वी. के निदेशक मंडल में स्थान मिलेगा। इसका क्या यह अर्थ हुआ कि इन निजी संस्थाओं की एस.पी.वी. की प्रक्रिया और परिचालन में निर्णायक भूमिका होगी? हमें यह भी समझना होगा कि निजी निवेशकों की बढ़ते लाभों की अंतहीन भूख के दृष्टिगत, खासकर गरीबों, सीमांत, प्रवासियों एवं बेघरों से संबंधित शहरी क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं एवं सार्वजनिक कल्याण सेवा प्रदान करने के कार्यो को किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा?

स्मार्ट इन्दौर का वित्त पोषण (वित्त व्यवस्था)[18]

इन्दौर में स्मार्ट सिटी मिशन हेतु वित्त (धन) निम्न पांच मुख्य स्त्रोतों से आएगा। ये हैं भारत सरकार से सीधे वित्त पोषण, मध्यप्रदेश सरकार से, (राज्य जहां यह शहर स्थित है,) संघीय एवं राज्य योजनाओं के संमिलन से वित्त पोषण, निजी सार्वजनिक भागीदारियां (पी.पी.पी.) एवं ऋण लेकर वित्तपोषण। भारत सरकार व राज्य सरकार प्रत्येक शहर को बराबरी का वित्तपोषण करेंगे। भारत सरकार की मंशा है कि वह आगामी पांच सालों की अवधि में स्मार्ट मिशन हेतु प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रुपये का आबंटन करेगी। राज्य सरकार से भी उम्मीद की जा रही है कि वह भी अपने राज्य में स्थित प्रत्येक स्मार्ट सिटी को 500 करोड़ रुपये प्रदान करे। इस तरह भारत सरकार और राज्य के साझा प्रयासों से प्रत्येक शहर को 1,000 करोड़ रुपये आबंटित हो पाएंगे। वहीं अन्य योजनाओं के संमिलन से प्रत्येक शहर को अनुमानत: 500 से 800 करोड़ रुपये मुहैया कराए जा सकते हैं। वैसे यह इस पर निर्भर करेगा कि शहर के भीतर किन योजनाओं का संमिलन किया जा रहा है। संमिलन वाली कुछ योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाय.) एवं अन्य। शेष धन निजी सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) और ऋणों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

निजी सार्वजनिक भागीदारी को आमंत्रित करने का अर्थ माना जाता है कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र से वित्तीय भार और परिचालन संबंधी जोखिम हट जायेगा और यह भार निजी क्षेत्र के ऊपर चला जायेगा। इसके अन्तर्गत निजी कंपनियों को शहर के भीतर पानी सप्लाई, मीटर लगाना, आवास और यातायात प्रबंधन जैसी सार्वजनिक सेवाओं के संचालन के ठेके दिए जाते हैं।और यह तर्क दिया जाता है कि सरकारों व नगरपालिकाओं के लिए इस तरह के सार्वजनिक कार्यों के लिए खर्च कर पाना कठिन है ऐसे में निजी क्षेत्र इन लागतों के बहुतांश को वहन करेगा और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा,जिसमे उनके आरंभिक निवेश की पूर्ण क्षतिपूर्ति और कई वर्षो तक स्थायी लाभ भी उपलब्ध कराया जाता रहेगा। स्मार्ट सिटीज मिशन (एस.सी.एम.) का दावा है कि यदि क्रियान्वयन का कार्य निजी सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से किया जाता है तो इसके माध्यम से कार्य जल्दी होगा बजाए सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र पर छोड़ दिए जाने से।

शेष अपेक्षित वित्त पोषण, राष्ट्रीय बैंकों व बहुपक्षीय या द्विपक्षीय वित्त पोषण संगठनों से लिया जाएगा। वर्तमान में एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (ए.आई.आई.बी. : विश्व बैंक), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), के.एफ.डब्लू. डेवलपमेंट बैंक और कई अन्य ने भारत के स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई है।

वर्तमान में इन्दौर को अनुमानत: निम्न स्त्रोतों से वित्त पोषण की उम्मीद है :–

- भारत सरकार – 488 करोड़ रुपये
- मध्यप्रदेश सरकार – 488 करोड़ रुपये

- संमिलन से – 600 करोड़ रुपये
- अमृत – जल आपूर्ति एवं सीवर हेतु – 152.5 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाय.) – 55.1 करोड़ रु. इन सिटु (स्थानीय स्तर या यथास्थान अर्थात जहां है वहीं पर) पुनर्विकास हेतु कुल 5514 मलिन बस्ती परिवारों का, 1 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से।
- आई.डी.पी.एस. (इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम/एकीकृत ऊर्जा विकास योजना)से 136.4 करोड़ रुपये भूमिगत विद्युत लाइन, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट ऊर्जा (एनर्जी) मीटरों हेतु।
- डिजिटल इंडिया के माध्यम से 145.2 करोड़ रुपये : सार्वजनिक वाय–फाय शहरी सेवा प्रदान करने में सूचना संचार तकनीक (आई.सी.टी.) का उपयोग एवं नेशनल आप्टिक फायबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) के माध्यम से आप्टिकल फायबर नेटवर्क।
- स्किल इंडिया के द्वारा 45 करोड़ रुपये अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए।
- ग्रिड से जुड़ा हुआ छत पर स्थित छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम (ग्रिड कनेक्टेड रूफ–टापस्माल सोलर पॉवर प्लांट प्रोग्राम जी.सी.आर. एस.एस.पी.पी.) के माध्यम से छतों पर स्थित सौर ऊर्जा संयंत्रों हेतु 64.62 करोड़ रुपये।
- पुनर्विकसित भूमि पर रियल इस्टेट (संपत्तियों) की बिक्री से अनुमान है कि इससे पहले 10 वर्षो में कुल 5,718 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी।
- अतिरिक्त फ्लोर क्षेत्र (एफ.ए.आर.) ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.)। इसका भावार्थ है, एक ऐसा स्थान विकसित करना जो कि मुख्य तथा ऊँची इमारतों (हाईराइज बिल्डिंग) का होगा, जिसमें कि पैदल आवाजाही से एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है और यह सामान्यतया रेपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट केरियर के आस–पास ही स्थित होगा। सामान्यतया इसमें सभी जरूरी कार्यालय आदि का विकास 400 से 800 मीटर (रेपिड ट्रांसपोर्ट सुविधा) की परिधि में होता है और निजी भूमि का पुनर्विकास।
- प्रीमियम को 675 रुपये प्रति स्के.फीट तक बढ़ाना।
- इस स्त्रोत से पहले 15 वर्षो में 4852.20 करोड़ रुपये के कुल राजस्व की प्राप्ति का अनुमान।

घरेलू/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों के ऋण :

- दीर्घ अवधि के कुल ऋण की आवश्यकता:2004.5 करोड़ रुपये।
- एस.पी.वी. ऋणों की अदायगी, आंतरिक संग्रहण और संपत्तियों (रियल इस्टेट) से प्राप्त राजस्व एवं एफ.ए.आर. पर लगाई गई प्रीमियम के द्वारा करेगा।

- 10 वर्षों की ऋण अवधि हेतु ऋण के माध्यम से वित्तपोषण 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर से होगा।

हालांकि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जो भी कार्य हाल–फिलहाल प्रगति पर हैं उसमें से किसी का भी क्रियान्वयन निजी सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) के अन्तर्गत नहीं हो रहा है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि मध्यप्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि जारी की है। स्मार्ट सिटीज परियोजनाओं में कोई निजी वित्त पोषण हुआ हो ऐसी कोई सूचना भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

परिचालन एवं रखरखाव (ओ. एण्ड एम.) लागत

परिचालन एवं रखरखाव लागत के अन्तर्गत ऐसी आवर्तक या बार–बार लगने वाली लागत शामिल हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत तैयार की गई अधोसंरचना के रखरखाव व परिचालन पर खर्च होंगी। परिचालन के रखरखाव से संबंधित लागतों का अनुमान स्मार्ट सिटी के विकास की शुरूआत से 15 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1572.50 करोड़ रुपये क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) हेतु एवं 388.50 करोड़ रुपये पूरे शहर हेतु आगामी 15 वर्षों हेतु परिचालन एवं रखरखाव लागत होगी। इन्दौर एस.पी.वी. में परिचालन एवं रखरखाव की वसूली हेतु योजना बनाई गई है।

लागत की भरपाई या वसूली निम्न तरीकों से होगी :

- क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) इलाके में संपत्ति कर में वृद्धि।
- क्षेत्र आधारित विकास की सीमा में आए घरों में अतिरिक्त स्मार्ट सिटी सरचार्ज (सेंस) (कर पर कर/सरचार्ज)
- क्षेत्र आधारित विकास भू क्षेत्र में जलशुल्क
- क्षेत्र आधारित विकास के घरों पर सीवरेज सरचार्ज
- क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) घरों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्लू) शुल्क
- क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) में स्थित घरों एवं संपत्तियों पर पार्किंग शुल्क
- संचयी अथवा बढ़ती दर से कर : संपत्ति कर पर 5 प्रतिशत एवं शिक्षा कर पर 2 प्रतिशत की दर से।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कचड़ा संग्रहण की लागत (शुल्क) धीरे–धीरे बढ़ती जा रही है। इस वर्ष यह प्रस्तावित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट (कचड़ा) संग्रहण का शुल्क जो 70 रुपये प्रति माह प्रति परिवार है को बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह प्रति परिवार (घर) प्रस्तावित किया जा रहा है।

इन्दौर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण

स्मार्ट सिटी मिशन का आलोचनात्मक विश्लेषण

स्मार्ट सिटीज मिशन को सन् 2015, जबकि इसकी पहली बार घोषणा हुई थी, तब से अब तक काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इस परियोजना की आलोचना के मुख्य बिन्दु थे, कि इसमें भारतीय शहरों की वास्तविकताओं की घोर उपेक्षा की गई है तथा इसके अन्तर्गत केवल पांच वर्ष की छोटी सी अवधि हेतु महत्वकांक्षी लक्ष्य और संभ्रांतवादी प्रस्ताव शामिल हैं। इसके विभिन्न आयामों की आलोचना हाउसिंग एण्ड लेंड राईट नेटवर्क, सेंटर फार पालिसी रिसर्च जैसे संगठनों एवं भारत के अनेक समाचार प्रदाताओं द्वारा की गयी है। स्मार्ट सिटीज (स्मार्ट शहरों) की पूरे भारत में हो रही आलोचना के समानांतर ही इसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ एक कानूनी याचिका भी दायर की गई। इसमें याचिकाकर्ता का मानना है कि ''यह एक बेहद उच्चाकांक्षी चयनात्मक (सेलेक्टिव) विकास परियोजना हैं जो कि भारत के संविधान का उल्लंघन करती है।''

मिशन को चाहे गए परिणामों के संदर्भ में सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ऐसे विश्वस्तरीय शहरों की कल्पना की गई है जो कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाएं और भारतीय शहरों में जो भी रह रहे हैं, उनके लिए समावेशी साबित हों। परंतु स्मार्ट शहरों में वृद्धि की मात्र आर्थिक आकांक्षा ही निहित है। सरकार का विश्वास है कि स्मार्ट सिटीज (शहर) भारत में निजी निवेश और उद्योगों को लुभा सकेंगे जिसकी वजह से अधिक रोजगार सृजित होंगे और लोग गरीबी से उबर पायेंगे।

वहीं सेंटर फार पालिसी रिसर्च (सी.पी.आर.) का मानना है कि उन्होंने जिन 99 शहरों के क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) का विश्लेषण किया है वहां उनके अन्तर्गत संबंधित शहरों का केवल 7 प्रतिशत क्षेत्र आता है और क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं में स्मार्ट सिटीज मिशन का 80 प्रतिशत धन लगाया जा रहा है।[19] सी.पी.आर के एक अन्य निष्कर्ष के अनुसार क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) शहर के उन्हीं क्षेत्रों में फलीभूत हो रहा है या अस्तित्व में आ रहा है जो पहले से बेहद विकसित हैं। मिशन का अधिकांशत: जोर शहर की वित्तीय एवं आर्थिक सुविधाओं में सुधार पर ही है। अतएव अनेक परियोजनाओं को व्यावसायिक, औद्योगिक और निवेश के उद्देश्यों हेतु नामित किया गया है।

आर्थिक अधोसंरचना विकास पर केंद्रित होने के साथ ही साथ ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.) का जबरदस्त प्रचार भविष्य के भारतीय शहरों की प्रमुख विशेषता के रूप में किया गया है, परंतु खास बात यह है कि टी.ओ.डी. परियोजनाएं वास्तविक यातायात अधोसंरचना जैसे बस मार्ग, बसें और मेट्रो यातायात के विकास पर कम ही केंद्रित हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन (एस.सी.एम.) के अन्तर्गत टी.ओ.डी. परियोजनाएं व्यापक तौर पर सूचना संचार तकनीक (आई.सी.टी.) को लागू करने पर जबरदस्त जोर दे रही हैं, जिससे कि आंकड़े इकट्ठा किए जा सकें और यातायात और बसों के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। औसतन स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित बजट में केवल 13 प्रतिशत का ही प्रावधान गैर मोटर चलित परिवहन (नान–मोटोराइज ट्रांसपोर्ट) हेतु किया है, जबकि शहरी भारत में शहरी भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण बढ़ती चिंता का विषय बन गए हैं।[20] सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में अधिकांशत: बड़ा हिस्सा जल संसाधन अधोसंरचना एवं सीवर (गंदे पानी) के प्रबंधन को समर्पित है और ये तकरीबन पूरी तरह से क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) परियोजनाओं के अन्तर्गत ही प्रस्तावित हैं। समस्या कुछ यूं खड़ी हो रही है, चूंकि क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) वाले भू क्षेत्र में अनुपातानुसार बहुत थोड़ी भूमि आ रही है, अतएव इसका प्रभाव भी सीमित होगा। यह तो स्पष्ट है कि केवल 7 प्रतिशत भूमि ही ए.बी.डी. के माध्यम से विकसित की जाएगी, तो ऐसे में यह चिन्ता उठना स्वाभाविक है कि इस अधोसंरचना से वास्तव में कौन लाभान्वित होगा।

मिशन के अन्तर्गत आवास (योजनाओं) संमिलन प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक प्रथक आवास योजना है और जिसका लक्ष्य सभी को पर्याप्त शहरी आवास उपलब्ध कराना है, में कर दिया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन (एस.सी.एम.) के अन्तर्गत आवास तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और आवास संबंधी बजट को रियल स्टेट विकास (डेवलपमेंट) और कम आय वालों के लिए आवास में बराबर–बराबर बाट दिया गया है। मलिन बस्तियों के पुनर्विकास हेतु आवास के लिए आवंटित पूरे बजट का 20 प्रतिशत भाग रखा गया है, लेकिन इससे अनौपचारिक तौर पर बसे लोगों के सामने सामाजिक मुद्दे उठ खड़े हुए हैं।[21] दि हाउसिंग एण्ड लेंड राइट नेटवर्क का मानना कि मलिन बस्तियों से बलपूर्वक निष्कासन स्मार्ट सिटी विकास की एक महती समस्या है। अनौपचारिक क्षेत्र के इन निवासियों के लिए निवास का प्रमाण दे पाना बहुत कठिन है और इन समस्याओं के चलते इन मलिन

बस्तियों के अनेक रहवासी मलिन बस्ती पुनर्वास की पात्रता ही नहीं रख पाएंगे। मलिन बस्तियों के पुनर्विकास की वजह से जबरिया बेदखली/निष्कासन होगा और इससे बेघरबारी की समस्या में वृद्धि होगी। गौरतलब है सन् 1990 के दशक में दिल्ली में रियल स्टेट के बाजार में उछाल आने की स्थिति में ऐसा ही हुआ था।[22]

यह तो स्वीकारना होगा कि स्मार्ट सिटीज मिशन में शहर के विभिन्न पक्षों/आयामों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। सभी स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में जल, सीवर, कचड़े, आवास, यातायात (आवागमन), सूचना तकनीक प्रणाली (आई.टी.एस.) एवं सामाजिक अधोसंरचना को समर्पित योजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं पर सरसरी निगाह डालने से प्रतीत होता है कि स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य तेज गति से शहरी अधोसंचरना निर्मित करना है, लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी व्यवस्थाओं (लाजिस्टिक) को देखने से कम ही विश्वास हो पाता है कि स्मार्ट सिटीज मिशन ने जिस आदर्श या कल्पनाशील शहरों का वायदा किया है, वह वैसे शहर उपलब्ध करवा पाएगा। ऊपर दर्शाई गई समस्याएं केवल आवास, जल और यातायात क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, वरन यह तो वित्तीय मुद्दों में भी विद्यमान हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकार क्या वास्तव में स्मार्ट सिटीज मिशन का प्रबंधन उस तरह स्व वित्त पोषित परियोजना के तहत कर पाएगी, जैसा कि उसने वायदा किया था। अनेक राज्य सरकारें अभाव या घाटे में चल रहीं हैं और बड़े स्तर पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप उन पर ऋण का दबाव ही अधिक पड़ेगा। निजी क्षेत्रों की भूमिका भी प्रश्नों के घेरे में है, कि निजी क्षेत्र कितना अधिक लाभ जनता को उपलब्ध करवा पाएंगे? निजी सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से निजी क्षेत्र ऋण के अधिक अंश का भार वहन करेगा और इसके बाद वह अधोसंरचना का परिचालन लाभ की उम्मीद के साथ करेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति वह उपयोग शुल्क (यूजर चार्जेस) और अन्य भूमि मुद्रीकरण(मोनेटाइजेशन), भूमि बिक्री योजनाओं के माध्यम से संभव कर पाएगा। बढ़ते निजीकरण का परिणाम यह होगा कि जनकल्याण योजनाओं की पहुंच उन लोगों तक कम होती चली जाएगी, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

एक तथ्य जो सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में साफ नजर आता है वह यह है कि जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की योजना बनाई गई है उन्हें जमीनी हकीकत प्रदान करने की तैयारी नहीं है। क्रियान्वयन में विलंब सामान्य सी बात बन गई है और परियोजनाएं शुरु होने के पहले ही टेंडर की प्रक्रिया में अटक जाती हैं। निजी क्षेत्रों के माध्यम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में टेंडरिंग एक बड़ा मुद्दा है। संविदा निकालने की प्रक्रिया का विश्लेषण विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग एजेंसियां जैसे शहर एस.पी.वी., राज्य योजना बोर्ड और राज्य सरकार करती हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निजी कंपनी का चयन किया जाता है, लेकिन इसमें बरती जा रही शंकास्पद देरी की वजह से तमाम परियोजनाएं टेंडरिंग प्रक्रिया में ही अटक कर रह जाती हैं।

स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत राज्य सरकार और भारत सरकार योजना के अन्तर्गत आने वाले

सभी स्मार्ट सिटीज (शहरों) के लिए बराबरी से आर्थिक सहयोग देंगी। प्रत्येक शहर 5 वर्षों में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार दोनों से 500–500 करोड़ रुपये यानी कुल 1000 करोड़ रुपये प्राप्त करेगा। वर्तमान में राज्य सरकारों के वित्तीय घाटे के मद्देनजर मिशन की सफलता के लिए ऋणदाताओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। परन्तु ऋण का भुगतान कौन करेगा ? यह भी तर्क दिया जा रहा है कि स्मार्ट सिटीज मिशन की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के अन्य विभाग अपने बजट में कटौती करें। राजस्व के संभावित स्त्रोत में संपत्ति कर में वृद्धि और प्रत्येक स्मार्ट सिटी में सार्वजनिक सेवाओं पर सरचार्ज लगाना शामिल है।

स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर एक बड़ी चिंता यह है कि यह शहरों की सबसे अधिक जरूरी आवश्यकताओं के प्रति संबोधित ही नहीं है और यह मुद्दों के निराकरण का प्रयास स्थानीय ज्ञान, इतिहास और परंपराओं के माध्यम से नहीं करना चाहता। एक पश्चिमी तकनीकी माडल का क्रियान्वयन इस उम्मीद के साथ किया जा रहा है कि इससे शहर के कुछ हिस्से लाभान्वित होंगे। परन्तु इस वजह से शहर का 90 प्रतिशत से भी ज्यादा क्षेत्र या तो पहले जैसी स्थिति में ही रहेगा या उसकी स्थिति स्मार्ट सिटीज मिशन के क्रियान्वयन के पहले से भी ज्यादा दुर्दशाभरी हो जाएगी। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की लागत बहुत अधिक है और इस प्रणाली को चलाए रखने के लिए वर्षो वर्ष तक परिचालन व रखरखाव लागत लगानी होगी। जरूरी था कि, इसके बजाय कम लागत वाले समाधान ढूंढे जाते और भारतीय शहरों की लचीली प्रवृत्ति का उपयोग किया जाता। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य है कि शहरों में ऐसे पश्चिमी आदर्शो को क्रियान्वित करना जो कि, अपनी ही अनूठी प्रणाली से संचालित होते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन भारतीय शहरों के सम्मुख जो मूलभूत समस्याएं (मुद्दे) मुंह बाये खड़ी है, जैसे असमान वितरण और जनसेवाओं तक सीमित पहुंच, को संबोधित (के समाधान को प्रवृत्त) ही नहीं है, बल्कि वह तुरत–फुरत का समाधान प्रस्तुत कर भारतीय शहरों को विकसित देशों के शहरों जैसा दिखाना (बनाना) चाहता है।

स्मार्ट सिटी इन्दौर का विश्लेषण

स्मार्ट सिटी इन्दौर के समक्ष भी वैसे ही मसले हैं जिन्होंने देशभर में स्मार्ट सिटीज मिशन (एस.सी.एम.) की नाक में दम कर रखा है। टेडरिंग की प्रक्रिया में लेटलतीफी, नगर निगम क्षेत्र के बहुत कम प्रतिशत क्षेत्रफल का विकास और निजी निवेश आकर्षित हो पाने की उम्मीद कुछ ऐसी कठिनाइयां है जिनका सामना शहर को वास्तव में विकसित कर पाने में स्मार्ट सिटी मिशन और इन्दौर दोनों को करना पड़ रहा है। इन्दौर के स्मार्ट सिटी विकास की समय सीमा सन् 2018 में समाप्त हो चुकी है परन्तु यह सन् 2022 तक जारी रह सकेगी। इससे नगर निगम को परियोजनाओं को पूरा करने (क्रियान्वयन करने) के लिए अधिक समय मिल पाएगा।

कपड़ा बाजार में सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े गए मकान और दुकानें

वर्तमान में इन्दौर के स्मार्ट सिटी एस.पी.वी. के अनुसार इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (इन्दौर स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड) ने 116.65 करोड़ रुपये मूल्य की 40 परियोजनाएं पूर्ण कर ली हैं और वर्तमान में 2320.42 करोड़ रुपये की 48 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं या क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। जो परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं उनमें से 21 कचड़ा (अपशिष्ट) प्रबंधन से एवं 9 स्मार्ट समाधान (सॉल्युशंस) से संबद्ध हैं। इन्दौर नगर निगम ने समय पर जिन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में रुचि दिखाई है वे विशेषत: अपशिष्ट प्रबंधन से संबंद्ध हैं। समय सीमा में जो अन्य परियोजनाएं पूरी हो पाई हैं वे हैं सौर ऊर्जा, यातायात प्रबंधन, हेरिटेज स्थान संरक्षण एवं राजस्व प्राप्ति हेतु सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन। यह तो अस्पष्ट है कि एस.पी.वी. की वेबसाइट पर जानकारी का प्रकाशन कब हुआ लेकिन यही नवीनतम जानकारियां हैं जो उस पर उपलब्ध हैं। जो परियोजनाएं अभी निर्माणधीन हैं उसमें सबसे खर्चीली परियोजना 475.96 करोड़ रुपये लागत की कचड़े से ऊर्जा बनाने की परियोजना है। यह परियोजना निजी सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से क्रियान्वित होना है और इसके अगस्त 2019 के अंत तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। ईस्सेल इंफ्रा प्रा.लिमिटेड इस परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है।[23]

अभी जो 2320.42 करोड़ रुपये की कुल लागत की योजनाएं निर्माणाधीन हैं उसमें से 897 करोड़ रुपये की लागत जलआपूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं से संबंधित है। निवेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आवास का है, जिसमें कि कुल 269.64 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाय.) के साथ संमिलन कर आवास संबंधित सभी सहायक योजनाओं के लिए रखे गए हैं।

हालांकि जल प्रबंधन एवं सीवरेज में भारी निवेश किया गया है लेकिन पांच परियोजनाओं का केन्द्र बिंदु रिवरफ्रंट (नदी के किनारे) विकास है। रिवरफ्रंट विकास से तमाम अधोसंरचनात्मक मसले सामने आ सकते हैं। इससे तटबंधों (फ्लड बैंक) के माध्यम से अतिक्रमण होगा। इसके परिणामस्वरूप वर्षा जल संग्रहण, भू–जल पुनर्भरण और वर्षा काल में बाढ़ की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।[24] ये सभी परियोजनाएं योजना में दर्शाई गई उम्मीद के मुकाबले धीमी गति से चल रही हैं।

स्थानीय स्त्रोतों का कहना है कि मिशन के अन्तर्गत मकान मालिकों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया है। जिनकी संपत्ति या तो नष्ट हुई या उन्हें नुकसान पहुंचा है, को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। उनमें से कुछ को ई.डब्लू.एस. (आर्थिक कमजोर वर्ग) के अन्तर्गत फ्लेट्स का आबंटन किया गया है लेकिन उनमें से ज्यादातर को अपने मकान नए सिरे से निर्मित करना होंगे। इस प्रक्रिया में सरकार ने उन लोगों की कोई मदद नहीं की है जो कि प्रभावित हुए हैं। हाल ही में इन्दौर ने त्यौहारों के मौके पर जयरामपुर से कपड़ा बाजार (क्लाथ मार्केट) तक नये सिरे से विस्थापन झेला है। स्मार्ट सिटी विकास के नाम पर सड़कों के चौड़ीकरण हेतु इस क्षेत्र में मकानों एवं दुकानों की पूरी पंक्तियां (सड़कों दोनों ओर) को आंशिक तौर पर ध्वस्त कर दिया गया है। प्राधिकारियों (अधिकारियों) के डर एवं इन्दौर में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ राज्य की कार्यवाही की वजह से सिंधी कॉलोनी, जयरामपुर जैसे क्षेत्र के लोग इस अन्याय के खिलाफ निष्क्रिय से हो गए हैं। अधिकांश लोग इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि इस कार्यवाही की वजह से संपत्ति के व्यावसायिक मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। अतएव तोड़फोड़ को समार्ट विकास की राह में आने वाली अस्थायी रुकावट के रूप में देखा जा रहा है। आवास परियोजनाओं की वजह से शहरी गरीबों को भी विस्थापित होना पड़ा है और उन्हें शहर की परिधि में दूर कहीं और जाने (स्थानांतरित/शिफ्ट होने) को बाध्य किया गया है। चूंकि यह स्थान कार्यस्थलों से काफी दूरी पर स्थित हैं अतएव इसके परिणामस्वरूप तमाम लोगों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया है तथा कार्य करने वाले वर्ग को पलट पलायन (रिवर्स माईग्रेशन) को मजबूर होकर इन्दौर से अपने गांवों को लौटना पड़ रहा है।

स्मार्ट सिटी इन्दौर को कानूनी चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। सेंटर फॉर इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (सी.ई.पी.आर.डी.) ने स्मार्ट सिटीज मिशन की कानूनी वैधता को लेकर भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि स्मार्ट सिटी इन्दौर ने (संविधान के) अनुच्छेद 14, 19, 21–ए, 38, 39–बी, 41 और 45 के अन्तर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन किया है। इनका उल्लंघन किया है। (कृपया परिशिष्ठ देखें) यह मामला पिछले दो वर्षों से उच्च न्यायालय में लंबित है और राज्य सरकार यथोचित जवाब नहीं दे रही है।

स्मार्ट सिटी इन्दौर के वित्त पोषण की राह में आए रोड़ों को देखते हुए यह दिखाई पड़ रहा है कि शायद ही कोई निजी कंपनी स्मार्ट सिटीज मिशन (एस.सी.एम.) के अन्तर्गत परियोजनाओं के वित्त

पोषण को तैयार हो। इसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने महसूस किया होगा कि नागरिक इन परियोजनाओं में लगने वाले राजस्व की पूर्ति कर पाने हेतु अधिक शुल्क दे पाने की स्थिति में नहीं होंगे। जिस तरह की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं उन्हें देखते हुए प्रश्न उठ रहे हैं कि शहर के केवल 2 प्रतिशत इलाके में इस तरह के कदम उठाने से क्या हम उस सुस्थिर (टिकाऊ) विकास की ओर कदम बढ़ा सकेंगे, जिसकी कल्पना स्मार्ट सिटीज मिशन के अन्तर्गत की गई है। इन्दौर के नागरिक स्मार्ट सिटीज मिशन के अंग के रूप में हाथ में लिए गए कार्यो को लेकर व्यापक तौर पर जागरूक हैं और साथ ही साथ उन्हें विकास परियोजनाओं में शामिल भी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रक्रिया से इन्दौर की मूल पहचान को चोट पहुंचती है।

भारत सरकार के विरुद्ध दायर कानूनी याचिका का विश्लेषण

याचिकाकर्ता, सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (सी.पी.आर.डी.) ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर पीठ में भारत सरकार के खिलाफ इस विश्वास के साथ याचिका दायर की है कि स्मार्ट सिटी की प्रकृति ही असंवैधानिक है। अभी सुनवाई चल रही है और याचिका पर अंतिम निर्णय आना शेष है। हालांकि याचिकाकर्ता ने स्मार्ट सिटी इन्दौर की योजना निर्माण के संबंध में सशक्त मुद्दे प्रस्तुत किए हैं। यह हैं, क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) हेतु भूमि का बहुत कम प्रतिशत आबंटित करना, राज्य की वर्तमान ऋणग्रस्तता और स्मार्ट सिटी इन्दौर हेतु वर्तमान बजट में कटौती। (संदर्भित संविधानिक अनुच्छेदों की सूची याचिकाकर्ता द्वारा स्मार्ट सिटी इन्दौर और शहरी विकास मंत्रालय के खिलाफ दावे एवं याचिकाकर्ता को भारत सरकार द्वारा दिए गए उत्तर हेतु, परिशिष्ट देखें।)

भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय जो कि प्रतिवादी हैं, ने याचिकाकर्ता के सभी दावों को नकार दिया है। हालांकि वे अपने पक्ष में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं कि इन दावों को क्यों नकारा गया है। याचिकाकर्ता के इस दावे की कि परियोजना भारतीय संविधान के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लंघन करती है, को प्रतिवादी ने बिना कोई कारण बताए कि स्मार्ट सिटी मिशन किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करती, बेहद साधारण ढंग से दावों को नकार दिया। ''असंभव, बेतुका, अतर्कसंगत और भटकाव भरा'' जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के सारे दावों को ठुकरा दिया है। परन्तु प्रतिवादी के इंकार को हम प्रकाशित परियोजना प्रस्ताव एवं वित्त पोषण योजनाओं से विरोधाभासी पाते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण यह धारणा है कि स्मार्ट सिटीज मिशन स्व वित्त पोषित है, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि लागत का प्रभाव रहवासियों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस हेतु वित्त पोषण (धन) एस.पी.वी., राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा होगा। परन्तु परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय योजना में हम पाते हैं कि मिशन को धन की उपलब्धता करवाने हेतु भूमि का मुद्रीकरण (बेचना), उपभोक्ता शुल्क में वृद्धि, बढ़ते सरचार्ज

और सभी तरह के भारों में बढ़ोतरी का वित्त उपलब्ध कराने हेतु प्रयोग में लाने का प्रावधान मिशन में है। याचिकाकर्ता ने इन विरोधाभासों की ओर इंगित किया लेकिन प्रतिवादी ने बिना कोई कारण बताए पुन: इन्हें ठुकरा दिया/नकार दिया। इसके बजाए प्रतिवादी ने दावा किया कि याचिकाकर्ता के जो तर्क है और जो जानकारियां हैं वे अविश्वसनीय संसाधनों का प्रयोग करके गढ़ी गई हैं और याचिकाकर्ता के वित्तीय दावों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बजाए इसके कि अपने तर्कों से बचाव करता, प्रतिवादी ने अपने ऊपर लगे आरोपों के यथोचित जवाब देने के याचिकाकर्ता की कार्यप्रणाली पर हमला करने का तय किया।

कानूनी पत्राचार याचिका के मुख्य बिंदु के अन्तर्गत प्रतिवादी के दावों में निहित विरोधाभासी प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है। स्ववित्त परियोजनाओं का संविधान सम्मत होना और तुरत–फुरत (प्लग एण्ड प्ले) विकास जैसे दावों को स्मार्ट सिटी इन्दौर द्वारा स्वयं जारी किए गए दस्तावेजों के आधार पर नकारा जा सकता है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के मध्य कानूनी पत्राचार के संबंध में तीसरे (बाहरी) पक्ष का नजरिया याचिकाकर्ता के पक्ष में जाता सकता है इसकी वजह है इसमें प्रतिवादी की तुलना में अधिक बिंदुओं पर चर्चा की गई है साथ ही अधिक संख्या में ठोस प्रमाणों एवं स्त्रोतों का संदर्भ लिया गया है।

निष्कर्ष

स्मार्ट सिटी, इन्दौर इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कुल सौ भारतीय शहरों में से एक है। थोड़ी सी ही जाँच परख करने से समझ में आ जाता है कि सरकार और नगर पालिकाओं द्वारा इसके माध्यम से जो कल्पित शहरीकरण है उसके अग्रदूत के दावों की पूरी हकीकत सामने नहीं आ पाती। हालांकि गहरे विश्लेषण के बाद इसे लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या स्मार्ट सिटी का निर्माण शहरी भारत जिन समस्याओं का आज सामना कर रहा है, उससे छुटकारा दिला पाएगा ? ये समस्याएं हैं, पानी की कमी, सेनीटेशन, बढ़ती आर्थिक असमानता, सार्वजनिक सेवाओं का असमान वितरण एवं उन तक सबकी पहुंच, यातायात, पूंजी प्रधान निजी अधोसंचरना परियोजनाओं पर अधिक केंद्रित होना और गांवों से शहरों की पलायन की वजह से शहरों पर बढ़ता दबाव और दूसरी ओर शहर इन मामलों से निपट पाने में सक्षम भी नहीं हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का लक्ष्य है कि शहरों में सुधार करने हेतु तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शहरों को इस तरह सज्जित करना कि वे 21वीं शताब्दी के दबाव को सहन कर पाएं। परन्तु स्मार्ट सिटीज मिशन के अन्तर्गत शामिल पुनर्विकास परियोजनाओं का जोर पूरे शहर को बेहतर बनाने के बजाए इसके एक छोटे हिस्से को बेहतर बनाने पर है। शहरी निवासियों का बहुत थोड़ा सा प्रतिशत ही इन प्रस्तावित परियोजनाओं से सीधे–सीधे लाभान्वित होगा और वर्तमान पुनर्विकास योजनाओं से गरीब व सीमांत समुदायों के साथ ही साथ मलिन बस्तियों के नागरिकों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह बात का तय कर पाना

कठिन है कि क्या स्मार्ट शहर (सिटीज) उन समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे जिनका कि वर्तमान में ये शहर सामना कर रहे हैं ?

स्मार्ट सिटीज के शंकास्पद क्रियान्वयन के समानांतर एक बड़ा प्रश्न स्मार्ट सिटी के वित्त पोषण को लेकर भी है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार इस हेतु आवश्यक कुल धन का 67 प्रतिशत अनिवार्यत: राज्य और केन्द्र सरकार से आएगा। परन्तु वर्तमान में भारत के अधिकांश राज्य भयानक वित्तीय संकट हैं। इस वजह से यह सवाल उठता है कि ये राज्य किस प्रकार से अपनी सीमा में स्थित स्मार्ट सिटी के लिए 33 प्रतिशत वित्त जुटा पाने से सक्षम होंगे? संभव है कि राज्य को यथोचित वित्त आपूर्ति हेतु करों में वृद्धि करना पड़े और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के बजट में कटौती करना पड़े। बैंकों एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लेना भी वित्त पोषण का एक स्त्रोत हो सकता है, लेकिन इस तरह के वित्तीय प्रबंधन की शर्तों एवं भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। कुल 33 प्रतिशत वित्त निजी सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से आने की संभावना है। इससे स्मार्ट सिटीज परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को अगुवाई करने की अनुमति मिल जाएगी। परन्तु निजी क्षेत्र को यह कार्य सौंपा जाएगा कि वह अधोसंरचना निर्माण के पश्चात अपने ही निवेश से इन परियोजनाओं का परिचालन (संचालन) और रखरखाव करे। निजी कंपनियों के निवेश एवं अधोसंरचना परियोजनाओं के परिचालन के आई.एल. एण्ड एफ.एस.जैसे हालिया उदाहरण ने विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है और एक हद तक वित्तीय संकट भी खड़ा किया है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि वह उद्यमों को लाभदायक बनाने का रास्ता खोजे। इस हेतु उसे उपभोक्ता शुल्क, सरचार्ज में वृद्धि, भूमि की मुद्रीकरण से संबंधित योजनाएं तैयार करने के साथ ही राज्य से कर अदायगी में अवकाश (ब्रेक) की आवश्यकता भी पड़ेगी। उपभोक्ता शुल्कों एवं सरचार्जो के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं बहुसंख्य शहरी निवासियों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी और इससे शहर की समस्याएं और भी बुरी हो जाने की संभावना भी बढ़ जाएगी।

इन्दौर में सड़क चौड़ीकरण के लिए आंशिक रूप से ध्वस्त एक घर का दृश्य

परिशिष्ट

(अ) स्मार्ट सिटीज मिशन – चयनित शहरों की सूची

पहला दौर (राउंड–1)

सिटी चैलेंज – चयन की तिथि – 02/02/2016

क्रमांक	शहर	क्रमांक	शहर
1	भुवनेश्वर	11	इन्दौर
2	पुणे (पूना)	12	एन.डी.एम.सी. (नई दिल्ली)
3	जयपुर	13	कोयम्बटूर
4	सूरत	14	काकीनाडा
5	कोच्ची	15	बेलगावी
6	अहमदाबाद	16	उदयपुर
7	विशाखापट्टनम	17	गुवाहाटी
8	जबलपुर	18	चैन्नई
9	सोलापुर	19	लुधियाना
10	देवनागरे	20	भोपाल

फास्टट्रेक राउंड

सिटी चैलेंज – चयन की तिथि – 24/05/2016

क्रमांक	शहर	क्रमांक	शहर
1	लखनऊ	8	पणजी
2	वारंगल	9	पोर्टब्लेयर
3	धर्मशाला	10	इम्फाल
4	चंडीगढ़	11	रांची
5	रायपुर	12	अगरतला
6	न्यूटाउन कोलकाता	13	फरीदाबाद
7	भागलपुर		

राउंड–2
सिटी चैलेंज – चयन की तिथि –20/09/2016

क्रमांक	शहर	क्रमांक	शहर
1	अमृतसर	15	तुमकुरू
2	कल्याण–डोंबीवली	16	कोटा
3	उज्जैन	17	तंजावुर
4	तिरुपति	18	नामची
5	नागपुर	19	जालंधर
6	मेंगलुर	20	शिवमोग्गा
7	वेल्लोर	21	सलेम
8	ठाणे	22	अजमेर
9	ग्वालियर	23	वाराणसी
10	आगरा	24	कोहिमा
11	नाशिक	25	हुबली–धारावड़
12	राउरकेला	26	औरंगाबाद
13	कानपुर	27	वडोदरा (बड़ौदा)
14	मदुरई		

राउंड–3

सिटी चैलेंज – चयन की तिथि – 23/06/2017

क्रमांक	शहर	क्रमांक	शहर
1	तिरूवनंथपुरम	16	तिरुपुर
2	नया रायपुर	17	पिंपरी/चिंचवड़
3	राजकोट	18	बिलासपुर
4	अमरावती	19	पासीघाट
5	पटना	20	जम्मू
6	करीम नगर	21	दाहोद
7	मुजफ्फर नगर	22	तिरूनेल्वेली
8	पुडुचेरी	23	तूतुकड़ी
9	गांधी नगर	24	तिरूचिरापल्ली
10	सागर	25	झांसी
11	करनाल	26	आयजोल
12	सतना	27	इलाहाबाद (प्रयागराज)
13	बैंगलुरू	28	अलीगढ़
14	शिमला	29	गंगटोक
15	देहरादून		

राउंड–4

सिटी चैलेंज – चयन की तिथि – 19/01/2018

क्रमांक	शहर	क्रमांक	शहर
1	सिल्वासा	6	ईटानगर
2	ईरोड	7	मुरादाबाद
3	डियु	8	सहारनपुर
4	बिहार शरीफ	9	कवरत्ती
5	बरेली		

(ब) इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड[25] भागीदार एवं बोर्ड समिति

पूरा नाम	आई.एस.डी.एल. में पदनाम	प्रतिनिधित्व पद/विभाग
श्री लोकश कुमार जाटव (आई.ए.एस)	चेयरमेन (अध्यक्ष)	जिला कलेक्टर, इन्दौर
श्री आशीष सिंह	कार्यकारी निदेशक	आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
श्री स्वतंत्र कुमार सिंह	नामजद निदेशक	राज्य सरकार के प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि
श्री राहुल जैन	नामजद निदेशक	राज्य सरकार के प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि
श्री विवेक क्षोत्रिय	नामजद निदेशक	राज्य सरकार के प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि
श्री शिवकांत मुदगल	नामजद निदेशक	सह निदेशक (ज्वाइंट डायरेक्टर) नगर एवं ग्रामीण नियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश सरकार, इन्दौर
श्री संजय मोहासे	नामजद निदेशक	मुख्य अभियंता मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर
श्री दीपक रत्नावत	नामजद निदेशक	मुख्य अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, इन्दौर नगर निगम के महापौर द्वारा नामजद
प्रो.श्री ऋषिकेश थिरूवेंकट कृष्णन	स्वतंत्र निदेशक	
ए.आर. श्रीमती दीप्ति व्यास	स्वतंत्र निदेशक	
श्रीमती अदिति गर्ग (आई.ए.एस.)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) (के.एम.पी.)	
श्रीमती रचना गौर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) (के.एम.पी.)	
श्री अनुराग कुमार सक्सेना	कंपनी सचिव (के.एम.पी.)	

(स) क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) कुल लागत 4468.70 करोड़

गतिविधि	लक्ष्य	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कुल लागत (करोड़ रु.)
निर्मित विरासतों का संधारण (संरक्षण), विरासत पथ विकास जिसमें इमारतों का बाहरी हिस्सा ठीक करना शामिल है।	3 किलोमीटर का विरासत पथ एवं बाहरी हिस्से को ठीक करना।	2017–18	46
उद्योग संयोजन केंद्रो (इनक्यूबेशन) का विकास, कौशल विकास केन्द्र एवं सीखने एवं कौशल विकास के लिए विद्यालयों का उपयोग।	6–6 उद्योग संयोजन केन्द्र एवं विकास केन्द्र।	2017–18	45
सुस्थिर विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के अनुरूप ज्यामितीय डिजाइनों के माध्यम से सड़कों, वाहनों हेतु चौराहों एवं पदयात्रियों के लिए क्रासिंग में सुधार करना।	100 प्रतिशत। इसमें शामिल वाहन निषिद्ध क्षेत्र, 47 चौराहों को ज्यामितीय ढंग से डिजाइन करना।	2019–20	507.43
पारंपरिक बाजारों की सड़कों पर वाहन निषिद्ध क्षेत्र निर्मित करना। साथ ही पैदल दूरी पर स्मार्ट पार्किंग का प्रावधान करना।	क्षेत्र आधारित विकास का 15.98 प्रतिशत एवं 5 किलोमीटर सड़कें 7200 इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) स्मार्ट पार्किंग फीचर हेतु सक्षम हों।	2017–18	
सूचना संचार तकनीक (आई.सी.टी.) से लैस वायु की गुणवत्ता की निगरानी का प्रावधान। टी.ओ.डी. के सिद्धांत पर आसानी से पैदल पहुंचने वाली दूरी ट्रांसिट कॉरिडोर व स्टेशन का निर्माण जिनके इर्दगिर्द सुगठित, सघन, मिश्रित उपयोग, मिश्रित आय (45 प्रतिशत वहन कर सकने योग्य आवास इकाई, जिसमें मलिन बस्तियों का पुनर्वास भी शामिल है, का निर्माण)।	ब्रीजोमीटर जैसे 10 सेंसर प्रति हेक्टर पुर्नविकसित आवासी इकाईयों का 45 प्रतिशत	2017–18	

गतिविधि	लक्ष्य	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कुल लागत (करोड़ रु.)
हरित आच्छादन को बेहतर बनाना और सार्वजनिक खुले स्थानों का अभिनव उपयोग	10.32 प्रतिशत	2018–19	2491.02
भवनों एवं सुविधाओं के पुनर्विकास में ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि करना।	पुनर्विकास वाले बिल्ट–अप क्षेत्र का 85.30 प्रतिशत	2020–21	
पुनर्विकास भवनों की 65 प्रतिशत छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना।	ग्रिड में 26.69 प्रतिशत (10 मेगावाट) की वृद्धि करना	2020–21	
पुर्नविकसित भवनों में जल का पुनर्भरण एवं पुर्नउपयोग।	पुनर्विकसित क्षेत्र के 100 प्रतिशत में	2020–21	
24/7 जल आपूर्ति प्रणाली (दोहरा पाइपिंग नेटवर्क, पीने योग्य एवं न पीने योग्य पानी के भंडारण हेतु ई.एस.आर. (इलेक्ट्रान स्पिन रीजोनेंस) और डिवाइस, (डीसेन्ट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, विकेंद्रित उपचार प्रणाली, दूषित जल)।	24/7 जल आपूर्ति उत्सर्जित होने वाले दूषित जल का 85 प्रतिशत प्रयोग में लाकर पीने के महंगे पानी की मांग को 40 प्रतिशत तक कम करना।	2019–20	
100 प्रतिशत स्मार्ट मीटरिंग। एस.सी.ए.डी.ए. सेंसर से लैस उपभोक्ता व क्षेत्रीय मीटर। (सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डाटा एक्वीसिशन)।	100 प्रतिशत मीटरिंग	2018–19	
डेवाट्स प्रणाली को जल आपूर्ति प्रणाली के साथ जोड़ना (एकीकृत करना)।	3 संयंत्र प्रत्येक की 6 एम.एल.डी. क्षमता (60 लाख लीटर प्रतिदिन) 1.5 किलोमीटर	2018–19	

गतिविधि	लक्ष्य	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कुल लागत (करोड़ रु.)
रिवरफ्रंट विकास एवं भूमिगत वर्षा जल ड्रेनेज नेटवर्क (वर्षा जल के प्रबंधन हेतु)।	अतिक्रमण हटाना और नदियों की ऊपरी सतह की सफाई जिससे कि उनमें यथोचित प्रवाह बना रहे	2018–19	
पुनर्विकास क्षेत्रों में स्थित मलिन बस्तियों में शौचालयों तक 100 प्रतिशत निवासियों की पहुंच।	मलिन बस्ती पुनर्विकास एवं व्यक्तिगत शौचालय के माध्यम से 100 प्रतिशत का प्रावधान	2017–18	
100 प्रतिशत घर–घर से कचड़े का संग्रहण और प्रथक्करण, भंडार करने में सक्षम डस्टबिन और जैविक अपशिष्ट को विकेंद्रित बायोडाइजेस्टर (कचड़ा नष्ट करने वाले) तक का परिवहन।	100 प्रतिशत संग्रहण व प्रथक्करण	2017–18	
जैविक कचड़े (अपशिष्ट) का विकेंद्रित निपटान उपचार।	प्रत्येक 10 मिलियन टन प्रतिदिन क्षमता वाली 3 सुविधाएं	2017–18	3.52
24/7 अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु स्मार्ट पावर ग्रिड एवं टी एण्ड डी (वितरण में हुई क्षति को न्यूनतम करके वितरण तंत्र की कार्यक्षमता में सुधार।	24/7 आपूर्ति एवं न्यूनतम समयबद्ध रखरखाव हेतु शट–डाउन 15 प्रतिशत	2020–21	72.38
वर्तमान मीटरों को स्मार्ट ऊर्जा मीटरों से बदलना (उपभोक्ताओं और वितरण जोन एवं सब (उप) स्टेशन के लिए)।	100 प्रतिशत कनेक्शन 95 प्रतिशत	2020–21	227.26

गतिविधि	लक्ष्य	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कुल लागत (करोड़ रु.)
लोगों की पहुंच में आ सकने वाले मुख्य सड़क पर उपयोगिता डक्ट और सहायक सड़कों पर उपयोगिता वाले छोटे डक्ट एवं सभी उपयोगिताओं के स्थानांतरण एवं लाइनें डालने हेतु फुटपाथ (खासकर बिजली और टेलीफोन की लाइने)।	100 प्रतिशत उपयोगिता सेवाओं को भूमिगत डालना	2017–18	
सार्वजनिक वाय–फाय हॉट–स्पाट स्थापित करना।	कुल 6 जिनकी परिधि की सीमा 250 मीटर होगी	2017–18	42.96
क्षेत्र आधारित (ए.बी.डी.) एवं 6 अन्य सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों हेतु क्षेत्र के निर्देशन एवं नियंत्रण केन्द्र हेतु भवन जिसने कि उपरोक्त सभी के स्मार्ट समाधान हेतु साटवेयर व हार्डवेयर की व्यवस्था होगी।	क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) के लिए 1 केन्द्र	2020–21	
क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) इलाके में स्थित सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नि:शुल्क वाय–फाय, हॉट–स्पाट, स्मार्ट कक्षाएं (क्लास रूम) एवं सुविधाएं	16, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	2017–18	16.56
स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार	2	2017–18	
सेंसर आधारित ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर सकने वाली स्ट्रीट लाइट प्रणाली। सड़कों फुटपाथ एवं सार्वजनिक खुले स्थानों के लिए	100 प्रतिशत	2019–20	63.69
सुरक्षा निगरानी एवं यातायात निगरानी हेतु बहुउपयोगी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना	100 प्रतिशत (सड़कों एवं सार्वजनिक खुले स्थानों पर।	2019–20	

(द) संपूर्ण (पैन सिटी) परियोजनाएं– कुल लागत 388 करोड़

गतिविधि	लक्ष्य	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कुल लागत (करोड़ रु.)
बहुउद्देशीय बेकबोन संचार तंत्र (नेटवर्क) : बहुउद्देशीय आप्टिकल फायबर केबल (ओ.एफ.सी.) डालना जिसकी 10 गीगा बाइट की बेंडविथ होगी। साथ ही 25 किलोमीटर की सीमा हेतु सूचना तकनीक सेवाएं (आई.टी.एस.) समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आई.एस.डब्लू.एम.) और भविष्य के शहर हेतु अन्य सुविधाएं (एप्लीकेशंस)	मुख्य सड़कों का जाल (नेटवर्क 355 कि.मी.) अंतिम छोर तक रिमोट टर्मिनल यूनिट कनेक्टिविटी (सेंसर, केमरा आदि) की सुनिश्चिता तांबे की केबलिंग या वायरलेस संचार माध्यम से होगी। यह आवश्यकता और उपयोग के आधार पर तय किया जाएगा।	2017–18	93
केन्द्रीय कमांड (आदेश) एवं नियंत्रण केन्द्र :भविष्य के शहर के कार्य में आने वाले एप्लीकेशंस हेतु सभी आई.टी.एस. व आई.एस.डब्लू.एम. के लिए साटवेयर व हार्डवेयर का प्रवर्तन करना (चालू करना)	1 पूर्ण सज्जित साझा केंद्रीय कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र	2017–18 से 2020–21 तक प्रत्येक गतिविधि के साथ–साथ आंशिक क्रियान्वयन	19
सिटी डेश बोर्ड : सभी आई.टी.एस. एवं आई.एस.डब्लू.एम. एवं भविष्य के शहर (पैन सिटी) में उपयोग में आने वाले अन्य एप्लीकेशंस हेतु जानकारियों का संग्रहण, उनकी तुलना एवं मिलान और उनके वितरण।	आई.सी.टी. सक्षम सार्वजनिक सेवाओं हेतु साझा शहर डेश बोर्ड (कॉमन सिटी डेश बोर्ड)	2017–18	6

गतिविधि	लक्ष्य	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कुल लागत (करोड़ रु.)
यातायात प्रबंधन : स्वचालित यातायात नियंत्रण प्रणाली (ए.टी.सी.एस.) सड़क पार करने वाले स्थानों (क्रासवाक) पर पैदल यात्रियों द्वारा एक्टीवेटेड सिग्नल, साइकल द्वारा एक्टीवेटेड सिग्नल। लेन की निगरानी एवं नियंत्रण क संकेत। रूट की जानकारी देने वाले डायनामिक मैसेज बोर्ड एवं वेब। एप्लीकेशन (एप) स्वचलित लागू हो जाने वाली प्रणाली।	355 किलोमीटर का मेजर रोड़ नेटवर्क, 210 वाहन एवं मिड ब्लॉक (शहरों के बीच में स्थित) जंक्शन और 530 बस स्टॉप इसके अन्तर्गत आयेंगे।	2020–21	141
इलेक्ट्रानिक भुगतान : आवागमन के किराये के प्रबंधन एवं संग्रहण हेतु सेंसर्स एवं हार्डवेयर (मेट्रो), स्टेंडर्ड बस, आई.पी.टी. (इंफारमेशन प्रोसेसिंग एण्ड टेक्नॉलाजी इसमें टेक्सी और ऑटो रिक्शा, पार्किंग व टोल शामिल हैं), इलेक्ट्रानिक स्मार्ट कार्डस जो कि पेमेंट गेटवे से जुड़े होंगे।	सभी तरह के सार्वजनिक यातायात व टोल संग्रहण इसके अन्तर्गत आयेंगे।	2018–19	39
पार्किंग प्रबंधन (सड़कों पर, सड़कों से अलग एवं बहुतलीय (मल्टी लेवल) पार्किंग स्थल की क्षमता और उपलब्धता हेतु सेंसर एवं कैमरे। सुविधा स्थल पर डायनामिक साइन बोर्ड जो कि वेब मोबाइल से जुड़ा होगा।	20 मल्टी लेवल पार्किंग भवन और 25, भूमि पर पार्किंग सुविधाएं ये विभिन्न कार्यस्थलों और यातायात के बिंदुओं/केन्द्रों पर स्थापित होंगी।	2020–21	17
नागरिकों एवं सफाई मित्रों के लिए डाटा (आंकड़ों) क्राउड सोर्सिंग एवं प्राथमिक एवं द्वितीयक (सेकंडरी), कचड़ा संग्रहण के प्रबंधन संबंधी जानकारी की विवेचना हेतु एप।	प्रत्येक सफाई मित्र एवं नागरिकों के लिए एक एप।	2016–17	2.5

गतिविधि	लक्ष्य	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कुल लागत (करोड़ रु.)
कचड़े की पेटियों की जियो फेंसिंग के लिए जी.आई.एस. आधारित इस्टेट प्रबंधन, वाहनों, व्यक्तियों, कचड़े के यातायात के रूट का मेपिंग एवं जी.पी.एस. आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली (वी.टी.एम.एस.)	वर्तमान में प्रचलन में आ रहे सभी वाहन, डस्टबिन इसमें वो भी शामिल हैं जो एस.डब्लू.एम., डी.पी.आर. तथा एस.बी.एम. के अन्तर्गत को भी शामिल किया गया है।	2017–18	12
कचड़े की पेटियों की जियो फेंसिंग के लिए जी.आई.एस. आधारित एसेस्ट प्रबंधन, वाहनों, व्यक्तियों, कचड़े के यातायात के रूट (मार्ग) का मेपिंग एवं जी.पी.एस. आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली (वी.टी.एम.एस.)	अपशिष्ट निपटान से संबंधित सभी संपत्तियां एवं व्यक्ति सेंट्रल कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र से जुड़े रहेंगे।	2017–18	5.5

(ई) याचिकाकर्ता ने संविधान के जिन अनुच्छेदों का संदर्भ दिया[26]

(14) राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

(19) (1) सभी नागरिकों को (अधिकार होगा)

(क) वाक स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति स्वातंत्रय

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का

(ग) संगम या संघ (या सहकारी सोसाइटी) बनाने का

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का

(ड) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का और

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्‌यीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धनजहां तक कोई विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रर्वतन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्ति युक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(5) उक्त खंड के उपखंड (घ) और उपखंड (ड) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे

निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टया उक्त उपखंड की कोई बात –

(i) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या

(ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी नियम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णत: या भागत: अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से

जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(21) किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं

(21 क) राज्य, छह से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबंध करेगा।

38 (1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(39) राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :–

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिसमें सामुहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।

(41) राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनई की दशाओं में लोक सदस्यता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपलबंध करेगा।

(45) राज्य सभी बालको के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

(46) राज्य जनता को दुर्बल वर्गो के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

(फ) याचिकाकर्ता के स्मार्ट सिटी इन्दौर के विरुद्ध दावे

याचिकाकर्ता के निम्न आधारों पर यह दावा किया कि स्मार्ट सिटी इन्दौर ऊपर वर्णित अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रही है :

- अनुच्छेद 14 का उल्लंघन क्योंकि करों की वसूली तो इन्दौर के सभी नागरिकों से की जाएगी और नगर निगम भूक्षेत्र का केवल 2.18 प्रतिशत ही लाभान्वित होगा।[27]
- अनुच्छेद 19क का उल्लंघन क्योंकि स्मार्ट सिटी इन्दौर कुल भूक्षेत्र के केवल 2.18 प्रतिशत में ही सूचना संचार तकनीक (आई.सी.टी.) का क्रियान्वयन करेगा। अतएव यह परियोजना नगर निगम भूक्षेत्र में निवासरत 95 प्रतिशत का वाक स्वातंत्रय (बोलने) के और अभिव्यक्ति से वंचित रखेगी।[28]
- अनुच्छेद 21 का उल्लंघन क्योंकि स्मार्ट सिटी इन्दौर लोगों का पानी, बेहतर जीवन और मानव गरिमा जैसे मूल अधिकारों से वंचित कर रही है।[29]
- अनुच्छेद 38 का उल्लंघन क्योंकि स्मार्ट सिटी इन्दौर सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे मलिन बस्ती निवासियों को आर्थिक सशक्तिकरण से वंचित कर रही है। इसकी वजह यह है कि कुल 646 मलिन बस्तियों में से मात्र 27 को ही पुनर्विकास योजना में शामिल किया जाएगा।[30]
- अनुच्छेद 39 (ख) का उल्लंघन क्योंकि स्मार्ट सिटी इन्दौर पूरे शहर को बेहतरी (सर्वजन हिताय) के अवसर उपलब्ध नहीं करवा रही है। इससे तो केवल 2.18 प्रतिशत भूक्षेत्र ही लाभान्वित होगा, अतएव यह सर्वजन हिताय नहीं है।[31]
- अनुच्छेद 41 का उल्लंघन क्योंकि स्मार्ट सिटी इन्दौर में मलिन बस्तियों के मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान नहीं किए हैं।[32]
- अनुच्छेद 45 का उल्लंघन क्योंकि स्मार्ट सिटी इन्दौर में मलिन क्षेत्र के बच्चों हेतु कोई आर्थिक क्षमता का प्रावधान नहीं किया है।[33]

याचिकाकर्ता ने जो अपनी शुरूआती याचिका दायर की थी उसकी निष्कर्षीय टिप्पणी में कहा था कि स्मार्ट सिटी इन्दौर एक अनुत्पादक व्यय है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सार्वजनिक धन को तब तक खर्च नहीं किया जा सकता जब तक कि यह सभी के लिए लाभदायक नहीं हो। स्मार्ट सिटी इन्दौर तब तक ऊपर लिखे सभी अनुच्छेदों का उल्लंघन करती रहेगी, जब तक कि वह अपनी योजना में इन्दौर के पूरे 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल नहीं कर लेती।

याचिकाकर्ता ने संविधान के उल्लंघन संबंधी दावों के अलावा वे कारण भी प्रस्तुत किये कि क्यों इन्दौर एक स्मार्ट सिटी के विचार के क्रियान्वयन हेतु पूरी तरह से तैयार (सज्जित) नहीं है (अनुपयुक्त है) इसके कारण नीचे दिए गए हैं :–

- स्मार्ट सिटी इन्दौर परियोजना के कारण शिक्षा के बजट में 18 प्रतिशत की कमी आएगी।[34]
- याचिका के प्रस्तुत करते समय शासन का स्वास्थ्य बजट 23 प्रतिशत घट गया था।[35]
- इन्दौर की जनसंख्या के केवल 47 प्रतिशत के पास नल कनेक्शन हैं एवं केवल 62 प्रतिशत के पास सीवर कनेक्शन हैं। अतएव शहर के उन इलाकों में सुधार पर अधिक ध्यान देना चहिए।[36]
- पुनर्विकास की लागत निजी मकान निर्माण की लागत से तीन गुना होगी। अतएव क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) मॉडल की व्यवहार्यता (औचित्य) संदेहास्पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यधिक लागत के पीछे भ्रष्ट प्रक्रियाएं सक्रिय हैं।[37]
- स्मार्ट सिटी इन्दौर के माध्यम से कुल 646 मलिन बस्तियों में से केवल 27 का पुनर्विकास होगा।[38]
- मध्यप्रदेश सरकार के ऊपर वर्तमान में 1,14,383 करोड़ रुपये के ऋण हैं।[39]
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 90 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों को बंद किया जाना प्रस्तावित है। वह पहले से ही वित्तीय संकट में है। ऐसे में स्मार्ट शहरों को किस प्रकार धन मुहैया करवा पाएंगे?[40]
- मध्यप्रदेश सरकार पहले से ही शिक्षा के बजट में कटौती कर चुकी है।[37]
- स्मार्ट सिटीज (शहरों) को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के कोई राज्य स्तरीय दिशा–निर्देश नहीं हैं। अतएव चयन की प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण तरीके अपनाए जा सकते हैं।[38]
- राज्य सरकार ने ऋण वापसी की अनुमानित राशि का विवरण जारी नहीं किया है। लेकिन उसने यह कहा है कि करों में वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी।[39]
- इन्दौर नगर निगम नर्मदा नदी से पानी उठाकर (लिफ्टिंग) आपूर्ति का बिजली बिल भरने में ही असमर्थ है, अतएव इन्दौर निगम के लिए स्मार्ट सिटी की लागत उठा पाना अव्यवहार्य है।[40]
- इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्मार्ट सिटी योजना को अधिकारिक रूप से जारी करने संबंधी प्रपत्र पर किसी अधिकारी या मंत्री के हस्ताक्षर हैं।[41]
- स्मार्ट सिटी योजना अनुच्छेद 77 का उल्लंघन करती है। (कानूनी प्रक्रिया के दौरान इससे इंकार किया गया और इसे कारण ही नहीं माना गया।)[42]

(ई) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को उत्तर

- याचिका का आधार स्मार्ट सिटी इन्दौर संकल्पना (परिकल्पना) पर आधारित है और यह परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन पर आधारित नहीं है। अतएव यह एक अपरिपक्व याचिका है और इसे रद्द कर देना चाहिए।[43]
- याचिका ने अपने तर्कों के पक्ष में केवल समाचारों का ही उपयोग किया है। अतएव यह एक अपरिपक्व याचिका है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।[44]
- जैसा कि याचिका में दावा किया गया है कि क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी.) क्षेत्र का विशेष रूचि के तहत चयन किया गया है, ऐसा नहीं है। क्षेत्र आधारित विकास क्षेत्र का चयन जन सर्वेक्षण एवं आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से हुआ है।[45]
- याचिका में स्मार्ट सिटी इन्दौर के खिलाफ दिए गए तर्कों में स्मार्ट सिटीज मिशन के देशव्यापी स्वरूप का ध्यान नहीं रखा गया है।[50]
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के संदर्भ में यह कि भारत सरकार की नीतियां याचिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं आती। अतएव यह याचिका अमान्य है।[51]
- याचिकाकर्ता ने स्मार्ट सिटी इन्दौर के क्रियान्वयन को गलत तरीके से समझा है। क्षेत्र आधारित विकास का वर्तमान क्षेत्र ''प्लग एण्ड प्ले'' मॉडल के अन्तर्गत है जो कि चरण आधारित विकास का घोतक है। अंतत: पूरे इन्दौर का पुनर्विकास इसी मॉडल के माध्यम से होगा।[52]
- इन्दौर के निवासियों पर कोई भी नया कर नहीं लगाया जाएगा। स्मार्ट सिटी इन्दौर पूरी तरह से (संपूर्ण) स्ववित्त विकास परियोजना है।[53]
- याचिकाकर्ता ने उन वित्तीय जानकारियों के स्त्रोत का खुलासा नहीं किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि स्मार्ट सिटी इन्दौर का हिस्सा हैं।[54]
- चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। चयन की प्रक्रिया भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दिशानिर्देशों का प्रयोग कर पूरी की गई है।[55]
- शहरी विकास मंत्रालय केंद्रीय मंत्रीमंडल की अनुमति के बाद सक्रिय हुआ है न कि स्वमेव।[56]
- स्मार्ट सिटीज मिशन के दिशानिर्देशों को सार्वजनिक तौर पर जारी किया गया है अतएव संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हुआ है।[57]
- मिशन के दिशानिर्देशों में सभी जरूरी प्रावधान व जानकारियां दी गई हैं।[58]

- किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हो।[59]
- संपूर्ण रेट्रोफिटिंग क्षेत्र (पुनर्निमित क्षेत्र) में किसी भी विद्यालय का शिक्षा केन्द्र को नष्ट (गिराया) नहीं किया गया है। अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (क) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।[60]
- स्मार्ट सिटी योजना किसी भी नागरिक की बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित (उल्लंघन) नहीं करेगी। अतएव यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करती।[61]
- अनुच्छेद 21 जीवन के संरक्षण एवं व्यक्तिगत देयता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।[62]
- अनुच्छेद 41 और 45 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी योजना नागरिकों के वंचित वर्ग के लिए भी बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करेगी।[63]

संदर्भ (Reference)

1 http://www.indore.nic.in

2 http://britania.com

3 Last city to be part of smart cities mission is Shillong.

4 http://smartcitiescouncil.com

5 http://www.smartcities.gov.in/content/immepage/ strategy.php

6 http://www.smartcities.gov.in/content/immepage/ strategy.php

7 http://www.smartcities.gov.in/content/immepage/convergence.sp.php

8 SCP Indore- http://smartcities.gov.in/upload/uploadfiles/files/indore_scp.pdf

9 http://www.smartcity/indore.org/smart_city_indore/

10 http://www.smartcityindore.org/smart_city_indore/

11 http://www.smartcityindore.org/completed_projects/

12 http://www.smartcityindore.org/ongoing_projects/

13 http://www.smartcityindore.org/proposed_projects/

14 http://www.smartcitiyindore.org/moa_and_goa/

15 Smart Cities Mission City Level Monitoring.
http://smartcities.gov.in/contert/innerpage/city_level.pdf

18 SCP Indore http://smartcities.gov.in/upload/uploadfiles/Files/indore_SCP.pdf

19 An Over view of the Smart Cities Mission in India Center for Policy Research Indiahttps://cprindia.org/
system/tdf/policy-briefs/SCM%20POLICY%2028th%Aug.paf?file=nodesid=7162

20 An Over view of the Smart Cities Mission in India Center for Policy Research India https://cprindia.org/
system/tdf/policy-briefs/ SCM%20POLICY%2028th%Aug.paf? file= nodesid=7162

21 An Over view of the Smart Cities Mission in India Center for Policy Research India https://cprindia.org/system/tdf/policy-briefs/ SCM%20POLICY%2028th%Aug.paf? file= nodesid=7162

22 Smart Cities Report HRLN India http://www.hrln.org.in/
documents/smart_cities_Report2018.pdf

23 https://www.smartcityindore.org/completed_project,
https://www.smartcityindore.org/ongoi ng _ proiecs/

24 http://sandrp.in/2014/09/17/riverfront_development_in_india_cosmetic_make_up_ on_ deep_wounds/

25 https://www.smartcityindore.org/stakeders_board_ commitiee/

26 India Constitution
https://www.india.gov.in/sties/upload_files/mpi/files/coi_part_full.pdf.

27 पृष्ठ–15 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
28 पृष्ठ–16 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
29 पृष्ठ–16 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
30 पृष्ठ–16–17 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
31 पृष्ठ–18 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
32 पृष्ठ–18 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शेन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
33 पृष्ठ–18 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
34 पृष्ठ–7 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
35 पृष्ठ–8 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
36 पृष्ठ– 9 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
37 पृष्ठ–12 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
38 पृष्ठ–522 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
39 पृष्ठ–524 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
40 पृष्ठ–524 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
41 पृष्ठ–524 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
42 पृष्ठ–527 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
43 पृष्ठ–538 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
44 पृष्ठ–539 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
45 पृष्ठ–567 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
46 पृष्ठ–568 वैधानिक कार्यवाही पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
47 कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
48 पृष्ठ–87 कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
49 पृष्ठ–106कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
50 पृष्ठ–88कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
51 पृष्ठ–89कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
52 पृष्ठ–95कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
53 पृष्ठ–97 कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
54 पृष्ठ–505कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
55 पृष्ठ–562–563कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
56 पृष्ठ–577कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
57 पृष्ठ–577कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
58 पृष्ठ–577कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
59 पृष्ठ–514कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
60 पृष्ठ–514कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
61 पृष्ठ–515कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
62 पृष्ठ–516कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार
63 पृष्ठ–516कानूनी प्रक्रिया पेपरबुक : सेंटर फार इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिसर्च एवं डेवलपमेंट विरुद्ध भारत सरकार

OUR LATEST PUBLICATIONS

Booklet: India 2018 Coal v/s Renewables Finance Analysis
https://www.cenfa.org/coal/booklet-india-2018-coal-v-s-renewables-finance-analysis/

Booklet : Smart Cities Mission in India: Footprints of IFIs by Gaurav Dwivedi
https://www.cenfa.org/publications/booklet-smart-cities-mission-in-india-footprints-of-ifis/

Report : Insolvency and Bankruptcy Code: Whose Loss, Whose Gain? By Nishank
https://www.cenfa.org/national-financial-institutions/report-insolvency-and-bankruptcy-code-whose-loss-whose-gain/

Briefing Note : AIIB's Investment in the NIIF: Why is it a Risky Venture? By Anuradha Munshi & Kate Geary
https://www.cenfa.org/publications/briefing-note-aiibs-investment-in-the-niif-why-is-it-a-risky-venture/

Briefing Note : MDBs Behind IL&FS: A Case of Bloodied Hands by Tani Alex
https://www.cenfa.org/publications/briefing-note-multilateral-development-banks-behind-ilfs-a-case-of-bloodied-hands/

Report : Encroachment of Nature, People and Livelihoods: A Case of Amaravati Capital City (2014-2019) by Tani Alex
https://www.cenfa.org/publications/encroachment-of-nature-people-and-livelihoods-a-case-of-the-abusive-greedy-and-failing-amaravati-capital-city-project-2014-2019/

Booklet : 5 Years of Achhe Din: A Quick Look at Banking and Finance Sector
https://www.cenfa.org/publications/5-years-of-achhe-din-a-quick-look-at-banking-and-finance-sector/

Update : A Great Victory: The Fight Continues! By Anuradha Munshi & Tani Alex
https://www.cenfa.org/projects-in-focus/tata-mundra-ultra-mega-project/update-a-great-victory-the-fight-continues/

Book : Rubbles of an Economic Earthquake, edited by Thomas Franco
https://www.cenfa.org/publications/book-rubbles-of-an-economic-earthquake/

Briefing Note : IFC, Climate Change and Investments in Cities by Gaurav Dwivedi
https://www.cenfa.org/publications/ifc-climate-change-and-investments-in-cities/

Flop Scheme; Analysis of PMFBY in Gujarat by Persis Ginwalla
https://www.cenfa.org/publications/flop-scheme/

Investments Beyond Borders - A Preliminary Report on Indian EXIM bank by Madhavi Bansal
https://www.cenfa.org/publications/investments-beyond-borders-a-preliminary-report-on-indian-exim-bank/

SOLIDARITY SERIES ; Conversations during Lockdown & Beyond
https://www.cenfa.org/publications/solidarity-series-conversations-during-lockdown-beyond/

Titanic Moment?; Analysis of NPAs & Loans by the PSBs in the Pre-COVID Er
https://www.cenfa.org/national-financial-institutions/npa/

Learning from 10 years of campaigning on financial intermediary lending at the International Finance Corporation
https://www.cenfa.org/publications/learning-from-10-years-of-campaigning-on-financial-intermediary-lending-at-the-international-finance-corporation/

Smart City in Indore- A Case Study by Gaurav Dwivedi
https://www.cenfa.org/publications/smart-city-in-indore-a-case-study/

The Dark Side of Thermal Power Plants Case Studies of Thermal Power Projects and Violations of Law by Priya Kamra
https://www.cenfa.org/publications/the-dark-side-of-thermal-power-plants-case-studies-of-thermal-power-projects-and-violations-of-law/

Infrastructure Projects in India: The Landscape of Financiers By Gaurav Dwivedi
https://www.cenfa.org/publications/infrastructure-projects-in-india-the-landscape-of-financiers/

Analysis of the Economic Survey 2019-2020
https://www.cenfa.org/nfis/analysis-of-the-economic-survey-2019-2020/

सेंटर फॉर फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी (सी एफ ए)

सेंटर फॉर फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी (सी एफ ए) वित्तीय संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हेतु तत्पर है एवं इससे संबंधित प्रयासों में मददगार रहता है। इस प्रयोजन हेतु हम शोध व अभियानों के साथ ही साथ इस संघर्ष में बने रहने (भागीदारी करने) हेतु आंदोलनों, संगठनों, कार्यकर्ताओं और छात्रों को प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं। हम ऐसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी भी करते हैं जो कि बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों में परिवर्तन ला सकें और इससे संबंधित सार्वजनिक विमर्श की दिशा परिवर्तित कर सकें।

हम राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए निवेश की निगरानी भी करते हैं। हम उन नीतियों से जुड़े हुए हैं जो कि देश के बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। हम कार्यशालाओं और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के माध्यम से वित्त संबंधी विश्व के रहस्यों को खोलते हैं। साथ ही हम नागरिकों की इस मामले में मदद करते हैं कि बैंके और सरकार जो कि सार्वजनिक धन का प्रयोग करती हैं अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सकें।